GOVERNMENT BILLS

The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान): सम्माननीय उपसभापति महोदय, कल जब CAMPA Bill पर चर्चा प्रारम्भ हुई, तो चर्चा से यह ध्यान में आया कि जो present CAMPA Bill है, यह कोई Forest Rights Act के विरोध में बनाया गया बिल है। वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह भी है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और हमने Forest Rights 2006 में दिए। आखिर क्या कारण था कि आजादी के 56 सालों तक हमने फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल्स को उनके rights नहीं दिए? आखिर क्या कारण था कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ओबीसी को अधिकार 1990 में मिला? पिछड़ों को, ट्राइबल्स को अगर 50 साल तक अधिकार नहीं मिला, उनको सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला, तो इसका दोषी कौन है? इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि एक तो 56 साल बाद आपने उनको 2006 में अधिकार दिया, आज जब उनके अधिकारों को सम्पन्न बनाने के लिए हम एक फंड को नेशनल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के द्वारा खर्च करना चाह रहे हैं, तो भी उसमें दिक्कत पैदा की जा रही है। यह जो CAMPA Bill है, माननीय जयराम रमेश जी ने Environment Minister रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसा बहुत अच्छे तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने as an Environment Minister जो भी अपने विषय रखे, जो भी अपनी notings दी, जो भी policy guidelines बनाई, उन सबको एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। यह बहुत अच्छी बात है, सार्वजनिक जीवन में अपने विषयों को स्पष्टता से रखना और मैं उनकी किताब का प्रशंसक भी हूँ, मैंने वह किताब पढ़ी भी है — "The Green Signal". जयराम जी, मैं आप ही को quote करना चाहता हूँ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair*]

आपने लिखा, "A total of about ₹ 1,000 crores was transferred to these States for the purpose of regenerating natural forest and afforestation activities in 2009-10. This was a moment of great personal satisfaction because I had been able, within two months of taking over, to break a logjam that has lasted almost eight years of satisfaction of all concerned." जब आपने 1000 करोड़ रुपये के लिए इतना satisfaction दिया है, तो आज जब 42,000 करोड़ रुपया आ रहा है, तो अनिल माधव दवे जी को कितना सेटिस्फेक्शन होगा? आज वह पैसा हम स्टेट्स को देने जा रहे हैं, लेकिन आपने तो आठ साल तक वह पैसा ग्राम सभा को नहीं दिया था, आठ साल तो वह पैसा आपके पास ही था और यह व्यवस्था आपके हाथ में थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कभी नहीं समझना चाहिए कि हम यह पैसा बिना किसी एकाउंट के देने जा रहे हैं। जो बिल आया है, इस बिल के क्लॉज़ 23 में लिखा है कि नेशनल अथॉरिटी जो भी पैसा खर्च करेगी, वह पार्लियामेंट के सामने एकाउंटेबल होगी। क्लॉज़ 23 में लिखा है, This Clause seeks to provide for preparation and forwarding of a copy to the Central Government, of the annual report of the National Authority, giving a full account of its activities during the previous financial year. Then, Clause 24 seeks to provide for laying of a copy of annual report and audit report of the National Authority together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein before each House of Parliament. तो compensatory afforestation का

जो पैसा है, हम देश के स्तर पर दिए जाने वाले इस पैसे को संसद के सामने रखने जा रहे हैं, राज्यों का पैसा हम राज्यों की विधान सभाओं के सामने रखने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमने किसी भी प्रकार से किसी उत्तरदायित्व को कम करने का प्रयास किया है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमने 1980 में Forest Act बनाया था, उसके बाद 1988 में हमने Forest Policy बनाई और 2006 में Forest Rights Act दिया। 2006 के Forest Rights Act का जो सेक्शन (4) है, उसके sub-section (vii) में जो Forest Conservation Act है, उसके अनुसार afforestation के लिए जो पैसा खर्च किया जाना है, उसमें हमने Forest Rights Act के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रावधान किए हैं और उसको बनाकर रखा जाना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय से, तकरीबन 56 साल तक इस देश के ट्राइबल्स को अधिकार नहीं मिला था। इस देश के ओबीसीज़ को आजादी के 50 साल के बाद अधिकार मिला, इस तरह हर आदमी को अधिकार देने की जिम्मेदारी और शपथ हमारी सरकार ने ली है, जिसे हम पूरे तरीके से लागू करेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय वन नीति, 1988 हमारे देश में बनी है, यह एक ऐसी परिस्थिति में बनी है, जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट के दौर से गुजर रही है और लगातार हमारे जंगल कट रहे हैं। दुनिया में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा लोग जंगल के आधार पर अपना जीवन-यापन करते हैं, तो वह भारत देश है। हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनके जीविकोपार्जन का आधार जंगल है। जंगलों में रहने वाला जो जनजाति समाज है, जो forest dwellers हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, सभी गतिविधियां, जल, जंगल और जमीन से ही संचालित होती हैं। आज हम यह जो बिल लाए हैं, हम यह जानते हैं कि किसी भी ऐसी भूमि की प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जिसका कोई और विकल्प नहीं है, वहां विकास के लिए हमको वह करना ही पड़ेगा और उसका कोई evaluation करके, हमें उसको compensate भी करना ही पड़ेगा। पहली बार इस बिल के माध्यम से, विशेष रूप से जंगल पर आधारित हमारी जो environmental services हैं, चाहे बाघ नियंत्रण का विषय हो, चाहे जल संसाधन का विषय हो, चाहे भूमि की उर्वरता का विषय हो, चाहे वायु की गुणवत्ता का विषय हो, उनको लिया गया है। जंगल हमारे लिए केवल पर्यावरण का पर्याय ही नहीं हैं ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं दस मिनट और लूंगा, मेरी पार्टी का टाइम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपकी पार्टी के पास 26 मिनट हैं और आपको सात मिनट दिए गए हैं। आपकी पार्टी के चार स्पीकर्स और हैं।

श्री भुपेंद्र यादव: सर, मैं दस मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा, इतने कम समय में मेरा विषय पूरा नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): थोड़ा शॉर्ट में बोलिए।

श्री भुपेंद्र यादव: जी, मैं शॉर्ट में बोलूंगा।...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): अभी तो ये बिल पर कुछ बोले ही नहीं हैं, अभी तो ये यही बता रहे हैं कि 56 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है और उसमें ये वाजपेयी जी की सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने भी ओबीसी को कुछ नहीं दिया, न आदिवासियों को कुछ दिया। अभी तो इनका राजनीतिक भाषण चल रहा है, बिल पर तो भुपेंद्र जी अभी आएंगे।

श्री भुपेंद्र यादवः शुक्ल जी, धन्यवाद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देश की आजादी के बाद ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। देश की आजादी के बाद पहली बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में शेड्युल्ड ट्राइब्ज मिनिस्ट्री किसी ने बनाई, तो यहां आने के बाद हमने बनाई, और किसी ने नहीं बनाई। आजादी के चालीस साल तक कभी आपने सोचा नहीं कि शेड्युल्ड ट्राइब्ज की अलग से कोई मिनिस्ट्री बननी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... दूसरा, जो ट्राइबल कमिशन था, वह ट्राइबल कमिशन अगर किसी ने बनाने का काम किया था, तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। ...(**व्यवधान**)... मैं यहां आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, शुक्ल जी, मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों के लिए देश ने आजादी ली थी, जिन गरीब, पिछड़ों, दलितों के लिए देश को आजादी मिली थी, उन तक अधिकार पहुंचने में देरी क्यों हुई? ...(**व्यवधान**)... सामूहिकता की जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए उसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए, उसकी एकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्लः इतना जो देश में हुआ है, वह कैसे हुआ है? ...(**व्यवधान**)...

श्री भुपेंद्र यादवः सर, अब इसके बाद मेरे दस मिनट शुरू होंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्लः 1947 में देश में क्या था, आज क्या है? ...(**व्यवधान**)... 1947 का देश आप देख लो और आज का देख लो। ...(**व्यवधान**)...

श्री भुपेंद्र यादवः आप सुन लीजिए। सर, सुना नहीं जा रहा है, तो राइट्स क्यों नहीं दिए? फॉरेस्ट एस्ट में क्यों 2006 में दिए? आपने क्यों ओबीसी आरक्षण नहीं दिया? आप तो सत्ता में थे। आपके समय में काका कालेलकर की रिपोर्ट आ गई थी। आपने क्यों काका कालेलकर के बाद मंडल कमिशन बनाकर रिपोर्ट तैयार कराई? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): यादव जी, आप चेयर को एड्रेस करें। आप बिल पर आ जाएं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): जब मंडल कमिशन का था, तब आपकी भी पार्टी विरोध करने में पीछे नहीं थी।

श्री भुपेंद्र यादवः हमारे ही सपोर्ट से हुआ है, अनवर अली जी। सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि कैम्पा का फंड जो आज हमारे पास उपलब्ध है, इस कैम्पा के फंड का सही उपयोग होना चाहिए। अगर हम अपने देश के पर्यावरण को, जो हमारा ईको मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो जो प्रोविजन किया गया है, मेरा यह मानना है कि इस फंड को खर्च करते समय पांच बिन्दुओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, इस फंड में प्रोविजन किया गया है कि जो हमारे ग्रेजिंग फील्ड्ज हैं, जिसको चारागाह मैदान, घास के मैदान कहते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में एक ईको सिस्टम को बनाए रखने का काम करते हैं। ये केवल पशुओं के चारागाह नहीं हैं, ये देश की बायोडायवर्सिटी, देश की वनस्पतियों के संरक्षण के लिए और लंबे समय तक पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं। जो खाली जमीनें हमारे पास हैं, उन खाली जमीनों पर ये चारागाह काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमारे ये जो ग्रेजिंग फील्ड्ज हैं इनको हम परंपरागत वनों में शामिल नहीं करते।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Your 10 minutes are over. Please conclude.

श्री भुपेंद्र यादवः सर, 22 मिनट हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No. You said, "Ten minutes". I have given you 10 minutes. आप एक मिनट में conclude कर दीजिए। Please conclude now.

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I will conclude in five minutes. सामान्यतया हमारा जो ग्रामीण समुदाय है, यह बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को चारागाह उपलब्ध करवाता है, इसलिए इनको बचाने, पुनर्जीवित करने, इनके महत्व और मूल्यों की पहचान करने के प्रभावी प्रयास करने चाहिए, इसमें कैम्पा के फंड का उपयोग भी करना चाहिए। दूसरा जो विषय है, वह हमारे wetlands हैं। हमारा जितना भी पानी का वाटर टेबल है, उसे बनाए रखने के लिए जो हमारे wetlands हैं, जो जलीय क्षेत्र हैं, हमारे पूरे इको सिस्टम को बनाकर रखते हैं और इसको आधार प्रदान करते हैं, इस कैम्पा फंड का उपयोग उसके लिए भी करना चाहिए। तीसरा जो विषय है, वह जो हमारे forest dwellers हैं, हमारे जो ट्राइबल्स हैं, उनके जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, environmental services में उनका भी योगदान रखते हुए, उनके अधिकारों को देखना चाहिए। हमारे जो बहुत बड़ी संख्या में कॉरिडोर्स हैं, जैसे रणथम्भौर और सरिस्का के बीच में कॉरिडोर है, उत्तराखंड में भी ऐसे कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स में जो जाने-आने का, जो जंगली जानवरों का जो पूरा एक सिस्टम है, वे कॉरिडोर्स हमारे मेंटेन रहें, वरना हमारे जंगल मेंटेन्ड नहीं रहेंगे। वहां पर ट्राइब्स रहती हैं। सामान्यतः जब जंगली जानवरों के द्वारा उनके पशु का शिकार कर लिया जाता है, तो उसके लिए तो उसका जो दूध देने वाला पशु है, वह महत्वपूर्ण होता है, तो वे ऐसे जंगली जानवरों के लिए प्वायज़न वगैरह गांव के आसपास रखते हैं। इससे हम कभी-कभी बहुत अच्छी संख्या में अपने जंगली जानवरों को खो देते हैं। इसलिए कैम्पा फंड के माध्यम से वहां रहने वाले जो हमारे लोकल ग्रामीण ट्राइब्स हैं, मैं ऐसे बहुत सारे सवाई माधोपुर के गूजर गांवों में घूमा हूँ, उनके जो जानवर जंगली जानवरों के द्वारा मारे जाते हैं, उनके लिए भी कंपंसेशन का प्रावधान होना चाहिए, ताकि वे उनके लिए फ्रेंडली बन करके रहें। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो स्थानीय समुदाय है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के जंगल को बनाये रखने के लिए, उसको मेन्टेन करने के लिए जितना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास स्टाफ है, उतना स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इसलिए जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनका स्किल अपग्रेडेशन हो, उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस राइट्स हैं, उनके साथ उसका वैल्यू एडिशन हो। तो उसके लिए क्या इस प्रकार के फंड का उपयोग करके हम इसका किसी प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं? क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में हमने आए दिन आग लगने के खतरे को देखा है, तो इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट की जो आवश्यकता इन जंगलों को बचाने के लिए है, उसका इसमें उपयोग करना चाहिए। हम लोगों ने पूरी दुनिया में जो पॉल्यूटर पेज़ प्रिंसिपल लागू किया है कि जिसको हमने समाप्त कर दिया है, हम कोई पानी नहीं बना सकते, हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, हम कभी नैचुरल जंगल पैदा नहीं कर सकते, हम उन वन्य जीवों को नहीं बना सकते, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना है। इसलिए मैं सबसे अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने 12 से 14 अप्रैल, 2016

[Shri Bhupender Yadav]

को जो 3rd Asia Ministerial Conference थी, उसमें टाइगर कंजर्वेशन में उन्होंने जो विषय रखा था, मैं केवल उनके एक पैराग्राफ को क्वोट करूँगा। उन्होंने जो कहा था, हालांकि वह बात टाइगर कंजर्वेशन के लिए थी, बाघ संरक्षण के लिए थी, लेकिन मैं उसको क्वोट करके अपना विषय समाप्त करूँगा। तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था, वह मैं क्वोट करना चाहूँगा। "बाघ संरक्षण अथवा वन संरक्षण हमारे विकास के प्रतिकूल नहीं, अपितु यह हमारे विकास का हिस्सा है। हमारी गतिविधियां वन्य जीव एवं वनों के हित में हैं। पारिस्थितिकी के मूल्य हमारी जरूरत हैं और हमें इन्हें प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् नैचुरल कैपिटल मानना चाहिए। कुछ बाघ संरक्षित क्षेत्रों का हमारी संस्थाओं ने जो आर्थिक मूल्यांकन किया है, वह बताता है कि संरक्षित क्षेत्र हमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करते हैं। ये हमारी पारिस्थितिकी की सुविधाएँ हैं, जो हमें स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र को विकास के प्रतिकूल न मान कर विकास के वास्तविक सहयोगी के रूप में पहचान करनी होगी।" तो कैम्पा फंड सही तरीके खर्च हो, राज्यों को यह पैसा जाए, इसमें किसी प्रकार की देरी न हो, जिसके कारण हमारे यहां पर जो 'जल-जंगल-जमीन' के अधिकार की बात होती है, उसकी संरक्षा हो, हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा हो, हमारे जंगल बचें, देश की बायोडायवर्सिटी और हमारे देश का ईको सिस्टम बचे। इसमें सभी लोग, सभी दल एक साथ आकर जो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसकी एक लम्बे समय से आवश्यकता थी और आज पूरा सदन इसको समर्थन दे रहा है। हम एक बहुत अच्छे कानून का निर्माण करने के लिए, देश के पर्यावरण संतुलन के लिए काम कर रहे हैं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): चौधरी मुनव्वर सलीम जी, आपकी पार्टी के 9 मिनट हैं। उसके अन्दर आपको अपनी बात खत्म करनी है।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी के नेता प्रो. राम गोपाल यादव जी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया गया है। इस बिल को पेश करने वाला शख्स, हम लोग विचारधाराओं से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक-दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं कि वे बहुत विद्वान हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पेड़, इंसान की जिन्दगी होते हैं, जानवरों की भी जिन्दगी होते है और जंगल की भी जिन्दगी होते हैं। पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता है, बल्कि जिन्दगी का एक ज़रिया होता है। उसको जिन्दा रखना, उसको कायम रखना हर इंसान का फर्ज है। यही वजह है कि पुराणों में यह कहा गया है कि अगर तुम दो पीपल के पेड़ एक साथ पानी के किनारे लगा दोगे, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ने खा ली जैतून की कसम, पेड़ की कसम, जैतून के फल की कसम..... तो मज़हबों में भी उसको अहमियत दी है और दुनिया के हर मज़हब ने कमोबेश पेड़ की इज्ज़त और हिफाज़त की बात कही है।

महोदय, मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बिल में जो शंकाएं हैं, उनको मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ। अगर उन शंकाओं को दूर करके बिल को थोड़ा और संशोधित किया जाएगा, तो यह बिल और मजबूत होगा। लगभग 42 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हैं और वह पैसा जंगल ने ही दिया है जंगल के लिए, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब हम सात हजार करोड़ रुपए स्मार्ट शहर बसाने के लिए दे सकते हैं,

तो हम 42 हजार करोड़ रुपए में सरकार की तरफ कुछ और ऐड करके, वे लोग, जो जंगल के बाशिन्दे हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, उनकी पुनर्स्थापना के लिए हम इसमें क्या प्रावधान कर रहे हैं, इस संबंध में इस बिल में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

महोदय, मैं आपके जरिए सरकार की मंशा की तारीफ करता हूँ, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि जब सरकारों में इच्छा शक्ति होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी के नौजवान इंजीनियर, मुख्य मंत्री, माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 करोड़ पौधे धरती में लगा कर पूरी दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान का मान बढ़ा दिया और यह साबित कर दिया कि आदमी असंभव को भी संभव कर सकता है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार, पिछली सरकार ने, आपकी सरकारों ने कई राज्य सरकारों को पैसे दिए, किसी ने जिप्सी खरीद ली, किसी ने मकान बना लिए, बड़ी बिल्डिंग बना ली। आपकी कृपा हम पर कम हुई, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री ने यह साबित कर दिया कि हम दुनिया में कीर्तिमान कायम कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने हिन्दुस्तान में सबसे पहले पहली किरण के साथ पौधारोपण किया। एक जगह नहीं, बल्कि दो-दो जगह किया और पूरे देश के अख़बारों ने लिखा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने पहला पौधा लगा कर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ पौधा लगाने का रास्ता बनाया। हमारे सरपरस्त मुलायम सिंह यादव जी भी पहली किरण के साथ निकल पड़े और पौधारोपण किया। हमारी सरकार का निर्देश सबको सीखना चाहिए। हमारा सम्भल का कलेक्टर चढ़ी हुई नदी के अंदर तैरता हुआ उस तरफ गया और वहां जाकर उसने कीचड़ में सनकर हजारों पौधे लगाने का काम किया। इस तरह का निर्देश जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें 33 फीसदी जमीन चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा कागज़ देखने की जरूरत नहीं है। हम उस आंदोलन से निकल कर आए हैं, जहां स्वाभाविक प्लांटेशन की बात होती है, स्वाभाविक तरीके से नेचर के शुद्धिकरण की बात होती है। हमें 33 परसेंट जमीन में जंगल चाहिए, तब हमारा वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन हमारे पास 21 फीसदी जमीन में ही जंगल है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हम 10 फीसदी जमीन और कहां से लाएंगे? कल एक विद्वान साथी यहां बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें पंचायतों का योगदान होना चाहिए, पंचायतों का नहीं, बल्कि गांव की ग्राम सभा होती है, उसका योगदान होना चाहिए यानी प्रत्येक नागरिक का योगदान होना चाहिए। यह बेशक होना चाहिए, लेकिन जब democracy मजबूत होती है और समाज में literacy बढ़ती है, जम्हूरियत के मतलब समझे जाते हैं, तब इस तरह के फैसले करने में सरकार को आसानी होती है। मैं सोचता हूँ कि उसके अंदर जन-प्रतिनिधियों का जरूर दखल हो, सिर्फ नौकरशाहों के दम पर इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन एमएलए हो, एमपी हो, जनपद सदस्य हो, जिला परिषद सदस्य हो और उस पंचायत का सरपंच हो, बजाय ग्राम सभा के वह वाम की नुमाइन्दगी करे।

महोदय, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हरेक स्टेट को बराबर पैसा देने की बात कही है और उत्तर प्रदेश विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ प्रदेश है, जहां हिन्दुस्तान की कुल आबादी का 1/5 आबादी रहती है। मैं सोचता हूँ कि उसका हक, उसके हालात, मुख्य मंत्री की इच्छा शक्ति और मैदानी इलाका इस बात के लिए मजबूर करता है कि सरकार हमें

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

विशेष पैकेज दे। हमारे मुख्य मंत्री की नीयत हिन्दुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जान गई है कि वह प्लांटेशन और वातावरण को शुद्ध करने के लिए कितने sincere हैं। दरख्त लगाते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि eucalyptus को हम दरख्त नहीं मान सकते। फलदार वृक्ष होना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने पीपल को इसलिए अहमियत दी कि वह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल लगाएं। आज जो अंग्रेज़ी दरख्त आ रहे हैं, उनके अंदर न खुशबू है, उनके अंदर न दरख्त जैसा आनन्द है और न वे छांव ही दे पाते हैं। सरकार की तरफ से इस तरह की भी इंस्ट्रक्शन्स जानी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे तो उससे एक आमदनी होगी। वह आमदनी वृक्षारोपण को और आगे तक लेकर जाएगी। हम आम लगाएं, जामुन लगाएं, पीपल लगाएं। हम अपनी नीतियों में इस तरह का प्रावधान करें। दरख्त इंसान की जिंदगी होते हैं, जानवरों का घर होते हैं। किसी शायर ने कहा — "कट गया दरख्त ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे जमीन पर परिन्दे तमाम रात"। वे परिन्दे सारी रात जमीन पर बैठकर यह इंतजार करते रहे कि शायद यह दरख्त फिर पैदा हो जाए। तो इसके लिए हमें एक सामाजिक चेतना भी पैदा करनी होगी। उस सामाजिक चेतना का अहसास अखिलेश यादव जी की सरकार से होता है, जब पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पेड़ एक दिन में एक साथ लगते हैं और दुनिया के अंदर नाम होता है हिन्दुस्तान का। तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी सिंसियेरिटी से समाज के अंदर वृक्षारोपण के प्रति गंभीरता दिखाने का काम कर रही थी और कितनी सामाजिक चेतना पैदा कर रही थी।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छा बिल है, हम इसका समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन इस संशोधन के साथ कि जल, जंगल और जमीन समाजवादियों का नारा रहा है और इस नारे के साथ यह भी सोचना होगा कि जब हम हजारों हेक्टेयर जमीन शहर बसाने के लिए लगाएंगे ...(**व्यवधान**)... मुझे दो मिनट और दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मैं आपको दो मिनट दे चुका हूं, आप समाप्त करें।

चौधरी मुनव्वर सलीम: जब हम हजारों एकड़ जमीन शहर बसाने के लिए लगाएंगे तो हमें यह याद रखना चाहिए, गांधी जी का स्लोगन था कि -"गांव बसाए भगवान ने और शहर बसाए इंसान ने"। अगर भगवान की बस्ती को तुम सुंदर और सम्पन्न बना दोगे तो दरख्त कटने भी कम हो जाएंगे, वृक्षारोपण भी बढ़ जाएगा और दरख्तों की हिफाजत भी हो जाएगी। मैं आपसे फिर कहता हूं कि गांवों को सुविधा सम्पन्न बनाओगे तो आपको वृक्षों को स्थापित करने के लिए, वृक्षारोपण के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए वे सब जरूरतें नहीं पड़ेंगी जो आज पड़ रही हैं। इसीलिए पड़ रही हैं कि हम दरख्त काटकर शहर बसा रहे हैं। हमने हजारों दरख्त काटकर शहर बसा दिए। इस पैसे को, इस 42 हजार करोड़ रुपए को, जो खुद जंगल ने आपको दिया है, यह नाकाफी है। इस बजट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जब हम अपनी हवाई यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं तो हमें वृक्षारोपण के लिए भी इस फंड में और फंड ऐड करना चाहिए, ताकि एक साथ सरकार के इस फैसले का लोगों में मैसेज जाए और लोगों में सामाजिक चेतना पैदा हो। बहुत धन्यवाद।

†**چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) :** اپُ سبھا ادھیکش مہودے، میں اپنی پارٹی کے نیتا پروفیسر رام گوپال یادو جی اور آپ کا شکریہ ادا کرتاہوں کہ مجھے ایک بہت اہم بل پر بولنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس بل کو پیش کرنے والا شخص، ہم لوگ وچار دھاراؤں سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں کہ وہ بہت ودوان ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیڑ، انسان کی زندگی ہوتے ہیں، جانوروں کی بھی زندگی ہوتی ہے اور جنگل کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ پیڑ صرف ایک پیڑ نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کو زندہ رکھنا، اس کو قائم رکھنا ہر انسان کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورانوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم دو پیپل کے پیڑ ایک ساتھہ پانی کے کنارے لگا دوگے، تو تمھیں موکش کی پراپتی ہو جائے گی۔

قرا ن میں للہ نے کھالی زیتون کی قسم، پیڑ کی قسم، زیتون کے پھل کی قسم، تو مذہبوں میں بھی اس کو اہمیت دی ہے اور دنیا کے ہر مذہب نے کم و بیش پیڑ کی عزت اور حفاظت کی بات کہی ہے۔

مہودے، میں بل کا سمرتھن کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن بل میں جو شنکائیں ہیں، ان کو میںا پ کے مادھیم سے مانئیے منتری جی کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ان شنکاؤں کو دور کرکے بل کو تھوڑا اور سنشودھِت کیا جائے گا، تو یہ بل اور مضبوط ہوگا۔ لگ بھگ بیالیس ہزار کروڑ روپے اکٹھا ہیں اور وہ پیسہ جنگل نے ہی دیا ہے۔ جنگل کے لیے، لیکن مہودے، میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم سات ہزار کروڑ روپے اسمارٹ شہر بسانے کے لیے دے سکتے ہیں تو ہم بیالیس ہزار کروڑ روپے میں سرکار کی طرف کچھ اور ایڈ کرکے، وہ لوگ، جو جنگل کے باشندے ہیں، جو وِستھاپ تِ ہورہے ہیں، ان کی پُن استھاپنا کے لیے ہم اس میں کیا پراؤدھان کررہے ہیں؟ اس تعلق سے اس بل میں کوئی اسپشٹی کرن نہیں ہے۔

مہودے، میںا پ کے ذریعے سرکار کی منشا کی تعریف کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب سرکاروں میں اچھاشکتی ہوتی ہے، تو ناممکن بھی ممکن ہوجاتا ہے۔ میں جس پارٹی کا کارئیے کرتا ہوں، ان پارٹی کے نوجوان انجنیئر، مکھیہ منتری، منانیئے اکھلیش یادو جی نے پانچ کروڑ پودھے دھرتی میں لگا کر یہ ثابت کردیا، پوری دنیا کے اندر ہندستان کا مان بڑھادیا اور یہ ثابت کردیا، پوری دنیا کے اندر ہندستان کا مان بڑھادیا اور یہ ثابت کردیا کہ ادّمی ناممکن کو ممکن کرسکتا ہے۔ اس کے برخلاف، میں کسی پر کوئیا روپ نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن مانیئے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ا پ کی سرکار، پچھلی سرکار نے، ا پ کی سرکاروں نے کئی راجیہ سرکاروں کو پیسے دیئے، کسی نے جِپسی خرید لی، کسی نے مکان بنالیے، بڑی بلڈنگ بنالی۔ا پ کی مہربانی ہم پر کم

† Transliteration in Urdu script.

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

ہوئی، لیکن ہمارے مکھیہ منتری جی نے یہ ثابت کردیا کہ ہم دنیا میں کیرتیمان قائم کرسکتے ہیں اور ناممکن کو ممکن بناسکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، میری پارٹی کے نیتا پروفیسر رام گوپال یادو جی نے ہندستان میں سب سے پہلے، پہلی کرن کے ساتھ پودھاروپن کیا۔ ایک جگہ نہیں، بلکہ دو دو جگہ کیا اور پورے دیش کے اخباروں نے لکھا کہ پروفیسر رام گوپال یادو جی نے پہلا پودھا لگاکر اترپردیش کے اندر پانچ کروڑ پودھے لگانے کا راستہ بنایا۔ ہمارے سرپرست ملائم سنگھہ یادو جی بھی پہلی کرن کے ساتھہ نکل پڑے اور پودھاروپن کیا۔ ہماری سرکار کا نردیش سب کو سیکھنا چاہئے۔ ہمارا سمبھل کا کلکٹر چڑھی ہوئی ندی کے اندر تیرتا ہوا اس طرف گیا وہاں جاکر اس نے کیچڑ میں سن کر ہزاروں پودھے لگانے کا کام کیا۔ اس طرح کا نردیش جانا چاہئے۔

مہودے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 33 فیصدی زمین چاہئے۔ مجھے بہت زیادہ کاغذ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس آندولن سے نکل کر آئے ہیں، جہاں سوابھاوک پلانٹیشن کی بات ہوتی ہے، سوابھاوک طریقے سے نیچر کو شدّھی -کرن کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں 33 فیصد زمین میں جنگل چاہئے، تب ہمارا ماحول شدّھہ ہوگا، لیکن ہمارے پاس 21 فیصد زمین میں ہی جنگل ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے مان نّے منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم 10 فیصدی زمین اور کہاں سے لائیں گے؟ کل ایک ودوان ساتھی یہاں بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں پنچایتوں کا یوگدان ہونا چاہئے، پنچایتوں کا نہیں، بلکہ گاؤں کی گرام سبھا ہوتی ہے، اس کا یوگدان ہونا چاہئے یعنی ہر ایک شہری کا یوگدان ہونا چاہئے۔ یہ بیشک ہونا چاہئے، لیکن جب ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے اور سماج میں لٹریسی بڑھتی ہے، جمہوریت کے مطلب سمجھے جاتے ہیں، تب اس طرح کے فیصلے کرنے میں سرکار کو آسانی ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کے اندر جن -پرتیندھیوں کا ضرور دخل ہو، صرف نوکرشاہوں کے دم پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایم۔ایل۔اے۔ ہو، ایم۔پی۔ ہو، جن-پد سدسئے ہو، ضلع پریشد سدسئے ہو اور اس پنچایت کا سرپنچ ہو، بجائے گرام سبھا کے وہ عوام کی نمائندگی کرے۔

مہودے، میں تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے ہر ایک اسٹیٹ کو برابر پیسہ دینے کی بات کہی ہے اور ات رّ پردیش مختلف پریشانیوں سے گھرا ہوا پردیش ہے، جہاں ہندوستان کی کل آبادی کا 5/ 1 آبادی رہتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کا حق، اس کے حالات، مکھیہ منتری کی 'اچھّا -شکتی' اور میدانی علاقہ اس بات کے لئے مجبور کرتا ہے کہ سرکار ہمیں خاص پیکیج دے۔ ہمارے مکھیہ منتری کی نیت ہندوستان نہیں، بلکہ پوری دنیا جان گئی ہے کہ وہ پلانٹیشن اور واتاورن کو شدّھہ کرنے کے لئے کتنے sincere ہیں۔

درخت لگاتے وقت ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ eucalyptus کو ہم درخت نہیں مان سکتے۔ پھل دار درخت ہونا چاہیے۔ ہمارے شاستروں نے پیپل کو اس لیے اہمیت دی کہ وہ چوبیس گھنٹےا کسیجن دیتا ہے، اس لیے پیپل لگائیں۔ا ج جو انگریزی درخت آرہے ہیں، ان کے اندر نہ خوشبو ہے، ان کے اندر نہ درخت جیسا ا نند ہے اور نہ وہ چھاؤں ہی دے پاتے ہیں۔ سرکار کی طرف سے اس طرح کی بھی انسٹرکشنس جانی چاہیئے۔

ا پُ سبھاادھیکش مہودے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھل دار درخت لگائے جائیں گے تو اس سے ایکا مدنی ہوگی۔ وہ آمدنی ورکش روپن کو اورا گے تک لیکر جائے گی۔ ہما م لگائیں، جامن لگائیں، پیپل لگائیں۔ ہم اپنی نیتیوں میں اس طرح کا پراؤدھان کریں۔ ےدرخت انسان کی زندگی ہوتے ہیں، جانوروں کا گھر ہوتے ہیں۔ کسی شاعرنے کہا

''کٹ گیا درخت مگرتعلق کی بات تھی،

بیٹھے رہے پرندے زمیں پر تمام رات''

وہ پرندے سارے رات زمین پر بیٹھ کر یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ درخت پھر پیدا ہوجائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ساماجک چیتنا بھی پیدا کرنی ہوگی۔ اس ساماجک چیتنا کا احساس اکھلیش یادو جی کی سرکار سے ہوتا ہے، جب پورے پردیش میں پانچ کروڑ پیڑ ایک دن میں ایک ساتھ لگاتے ہیں اور دنیا کے اندر نام ہوتا ہے ہندستان کا۔ تو یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سرکار کتنی سنسیارٹی سے سماج کے اندر ورکش روپن کے پرتی گمبھیرتا دکھانے کا کام کررہی تھی اور کتنی ساماجک چیتنا پیدا کررہی تھی۔

ا پُ سبھاادھیکش جی، یہ بہت اچھا بل ہے، ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں، ہمارے پارٹی سمرتھن کرتی ہے، لیکن اس سنشودھن کے ساتھ کہ جل، جنگل اور زمین سماجوادیوں کا نعرہ رہا ہے اور اس نعرے کے ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب ہم ہزاروں ہیکٹئیر زمین شہر بسانے کے لیے لگائیں گے ۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ مجھے دو منٹ اور دیجیئے۔

اُپ سبھاادھیکش (شری بھونیشور کلیتا): میںا پ کو دو منٹ دے چکا ہوں،ا پ ختم کریں۔

چودھری منوّرسلیم: جب ہم ہزاروں ایکڑ زمین شہر بسانے کے لیے لگائیں گے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئیے، گاندھی جی کا سلوگن تھا کہ ''گاؤں بسائے بھگوان نے اور شہر بسائے انسان نے، اگر بھگوان کی بستی کو تم سندر اور سمپنّ بنادوگے تو درخت کٹنے بھی کم ہوجائیں گے، ورکش روپن بھی بڑھ جائے گا اور درختوں کی حفاظت بھی ہوجائے گی۔ میں اپؔ سے پھر کہتا ہوں کہ گاؤؤں کو سویدھا سمپنّ بناؤگے توا پ کو درختوں کوا ستھاپ تِ کرنے کے لیے، ورکش روپن کے لیے اور واتاورن کو شُدّ کرنے کے لیے

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

وہ سب ضرورتیں نہیں پڑیں گی جو اجَ پڑرہی ہیں۔ اسی لیے پڑرہی ہیں کہ ہم درخت کاٹ کر شہر بسارہے ہیں۔ ہم نے ہزاروں درخت کاٹ کر شہر بسادیئے۔ اس پیسے کو اس بیالیس ہزار کروڑ روپے کو، جو خود جنگل نےا پ کو دیا ہے، یہ ناکافی ہے۔ اس بجٹ کو بھی بڑھایا جانا چاہیئے۔ جب ہم اپنی ہوائی یاتراؤں پر کروڑوں روپے خرچ کرسکتے ہیں، اپنی ذاتی حفاظت پر کروڑوں روپے خرچ کرسکتے ہیں، اپنی تو ہمیں ورکش روپن کے لیے بھی اس فنڈ میں اور فنڈ ایڈ کرنا چاہیئے، تاکہ ایک ساتھ سرکار کے اس فیصلے کا لوگوں میں میسیج جائے اور لوگوں میں ساماجک چیتنا پیدا ہو۔ بہت دھنیواد۔

SHRI T. RATHINAVEL (Tamil Nadu): Sir, I wish to express my sincere gratitude to our beloved leader hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, for giving this opportunity to speak on this very important Bill.

Sir, this Bill paves the way for unlocking of nearly ₹ 41,000 crores earmarked for the forest land, which is lying unspent. These funds will make payments for compensatory afforestation; Net Present Value (NPV) of forest; and, other project-specific payments. The National Fund will receive 10 per cent of these funds, and the State Funds will receive the remaining 90 per cent.

Under the dynamic leadership of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, Tamil Nadu stands first among the States in the matter of improving the forest cover in the country. In Tamil Nadu, the forest cover has increased by 2,501 square kilometres in the last two years which accounts for nearly 65 per cent of net forest cover increase across the country. At a time when many States in the country are facing challenges in retaining its forest cover, Tamil Nadu has recorded an increase for the third consecutive year. This has been possible only through the sustained afforestation programmes launched by hon. Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma. Statistics on forest cover, calculated using satellite images show that the increase has been consistent. In 2011, the green cover was 28,308 square kilometres, which increased to 28,710 square kilometres in 2013 and jumped to 30,850 square kilometres by 2015. The Tamil Nadu Biodiversity Conservation and Greening Project that began in 2011 by Puratchi Thalaivi Amma has achieved half its target of planting eight crore saplings over the last five years. One of the most successful programmes is the Massive Tree Planting Programme under which 64 lakh saplings were planted across the State in 2012 alone. In the next three years, 65 lakh, 66 lakh and 67 lakh saplings respectively were planted coinciding with the birthday celebration of Puratchi Thalaivi Amma. This is a model and trend-setter programme for all the States to follow in the future.

The third programme focuses on the vulnerable species of trees. Nearly 600 species of trees from 17 protected areas have been classified as vulnerable and threatened, and efforts are on to protect these vulnerable tree species. The key to increase green cover is not just afforestation but better conservation methods which pertain to strict laws to ensure no developmental activity inside forests and better patrolling against smuggling of wood. Agro-forestry practice, which promote growing trees in and around farms is another major reason for the increase.

The Bill delegates the determination of NPV to an expert committee constituted by the Central Government. As NPV constitutes about half of the total funds collected, its computation methodology would be important. The salient features of the afforestation programme will be people's participation, social audit and there will not be any displacement. Besides the exotic plants, emphasis will be on native species.

Tamil Nadu has rich legacy of conserving forests and diverting bare minimum for any non-forest activity. Diversion of forest lands for nonforestry purposes in Tamil Nadu continues to be lowest in the country. In a long span of more than 30 years, the diversion of forest areas for nonforestry purpose is only about 4,546.80 hectares involving 388 cases. The State of Tamil Nadu which has been conserving biodiversity and green cover stands at a disadvantage as it will not be adequately compensated for its conservation efforts. Tamil Nadu needs to be adequately supported for its earnest effort to conserve and increase the forest cover.

Since the 14th Finance Commission has provided extra money for the States with more forest cover, the money with the Centre should be given to only States which have increased the forest cover and which have not been benefited from the 14th Finance Commission's forest cover criterion. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you for completing your speech in time. Now, Md. Nadimul Haque.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir forests are a vital component to sustain the life support system on earth. Forests, whether Government, village or private, sub-serve the entire community and represent a community resource that meets the needs of millions of rural people, especially the tribals.

Sir, here, I state forcefully that my Party, the All India Trinamool Congress, believes that *jungle adhikar* or the rights of the forest dwellers have to be kept with the tribals and the responsibility for this should be given to the State Governments.

Sir, India has unparalleled forest diversity and resources. Forests have been and continue to be an integral part of the natural commons and livelihoods of many communities in the country.

[Shri Md. Nadimul Haque]

The principles and framework laid down in this Bill, therefore, will have a far-reaching impact and is a consolidation of a long-term strategy to conserve the country's abundant forest resources. Overall, the intent and provisions of this Bill are good and are in conformity with the larger aim of increasing the forest cover in the country. However, I have four specific issues with regard to this Bill.

The community, whose livelihood depends on forest resources, particularly the tribal communities, must be made a part of the procedures involved in the Bill and afforestation activities. Some MPs have raised this in the form of amendments but we suggest to the Government that this be brought within the framework of the Rules pertaining to this Act. In this regard, it is worthwhile to mention here that the West Bengal Government has taken pioneering steps in ensuring community participation in afforestation activities. The State Government announced the appointment of *aranya bandhus* in November, 2005. These *bandhus* are community volunteers who will alert the Forest Department whenever a tree is felled. The green guards will also organise campaigns for awareness on afforestation, and will act as a liaison between the people and the Forest Department and help resolve issues that require trees to be chopped off. Engendering community participation through innovative steps like these can go a long way in achieving the goal of afforestation laid down in this Bill, and the Centre must consider replicating this initiative across the country.

Sir, the second point which I would like to raise is with regard to the Monitoring Group. In this Bill, the National Authority consists of a Governing Body, Executive Committee, Monitoring Group and Administrative Members. To this end, a Monitoring Group should be incorporated at the State level as well.

Sir, forest land has been diverted for facilitating development activities for non-forestry purposes. In addition, the loss of forest ecosystem must be compensated through payment of Net Present Value of forest.

Here, I would like to point out an issue raised by the Standing Committee. Between 2006 and 2012, the State Environment Departments were to get almost one lakh hectare of land for afforestation. But the State Governments got some 28,000 hectares only. Moreover, out of this, only 7,286 hectares were actually used for afforestation. Though forest land is being used for development, far less non-forest land is being compensated. In this regard, a 2013 CAG Report has also noted that afforestation was carried out only on seven per cent of the actual land that was supposed to be afforested.

In 2014, yet another committee, the Madhu Verma Committee, which was constituted to study the implementation of NPV, also suggested reforms in computing

the NPV. I request the Minister to clarify the provisions regarding this and whether the suggestions given by these committees have been duly considered for inclusion in the Bill.

Lastly, Sir, before concluding my remarks on the Bill, I would like to state that in Bengal, when the *Maa Maati Manush* Government came to power in 2011, the biggest challenge before our Government was not only to maintain but also to increase the forest area which presently extends from the Sunderbans to the foothills of the Himalayas and amounts to 11,879 square kilometres of forest land in the State. Sir, I am proud to state before this august House that the forest cover in our State has increased eight per cent, which is approximately 3,810 square kilometres. Moreover, Sir, out of 5,871 square kilometres increase in the forest cover in the country, nearly 64 per cent accounts for the State of West Bengal alone, which is the highest in the country. The West Bengal Government has now initiated a new afforestation programme in the industrial belt of Durgapur-Asansol and Purba Medinipur, fully funded by the West Bengal Pollution Control Board.

Sir, all the Members are well aware that as soon as the present Bill is passed, the funds under the law would be re-allotted. Here, I would like to state that the good performance of the State of West Bengal as mentioned above must be rewarded.

And, Sir, before I end, through you, I wish to tell Mr. Jairam Ramesh that he mentioned the name of Ms. Mamta Banerjee not once, but twice in his speech and also twice mentioned the name of the leader of the Trinamool Congress in Rajya Sabha. He appealed to us to take responsibility to protect the tribal community as per the Forest Rights Act which we had supported in 2006. Sir, what makes him think that States are not responsible to disperse money keeping tribal rights in mind? What makes him think that popularly elected State Governments cannot handle the needs of the people? What makes him think that only the Centre is responsible and the States are irresponsible? What makes him think that Trinamool Congress will heed the advice of a Party that has been outright rejected by the people of Bengal? Mr. Ramesh is entitled to his opinion, Sir, but advice. We know our responsibilities to the tribals and all the oppressed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE: Trinamool is always by their side, Sir. अंत में कहना चाहूंगा कि,

"हाय अफसोस कि तोड़ा है मेरा दिल उसने,

जिसको यह भी नहीं मालूम कि टूटा क्या है।"

[Shri Md. Nadimul Haque]

†،آخر میں، میں کہنا چاہوں گا کہ

"ہائے افسوس کہ توڑا ہے میرا دل اس نے،

"جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ٹوٹا کیا ہے

श्री हरिवंश (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016, इसे सहज हिन्दी में कहूं, तो जंगल काटने के बदले जंगल लगाने, बसाने, आबाद करने संबंधी बिल, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो CAMPA के समर्थन में सशर्त खड़ा हूं। सशर्त, माननीय जयराम रमेश द्वारा प्रस्तावित सुझावों और संशोधन के साथ और समर्थन में इसलिए कि मैं कुछ कहूं, उससे पहले मैं पर्यावरण मंत्री जी को तुरंत यह बिल लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा।

मैं इस बिल के समर्थन में तीन बातें कहना चाहूंगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के 2002 के फैसले के तहत plantation, protection of forests, wildlife protection and other related activities के लिए इस का गठन हुआ। सिंचाई, उद्योग, mining वगैरह के लिए हम जंगल और जमीन का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और जंगल कट रहे हैं, उसके लिए जंगल आबाद करने के लिए यह फंड है। इस के लिए 42,000 करोड़ रुपए की राशि है जिस पर सूद और ब्याज अलग है। यह फंड राज्यों को जाने वाला है। महोदय, इतनी बड़ी राशि unspent रहे, गरीब मुल्क में यह भी ठीक नहीं है। पिछले 70 सालों से जिस गरीबी और बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं, ऐसे मुल्क में यह सही नहीं है। इसलिए मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं।

दूसरे यह फंड मूलतः कहां लगेगा? यह अधिकतर उन इलाकों में लगेगा जहां पिछड़ापन है, गरीबी है, नक्सल चुनौती है। एक शब्द में कहना हो तो जहां अविकास का अंधेरा है। इसमें 15 करोड़ mandays employment generate होगा, ऐसा स्पेशलिस्ट्स कह रहे हैं। इससे आदिवासियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने औद्योगिक विकास की सब से अधिक कीमत आज़ाद भारत में चुकायी है। उनके विस्थापन, पीड़ा और करुणा की बहुत पीड़ादायक कहानी है। इसका असर सही ढंग से नीचे तक पहुंचे, तो 4-5 हजार करोड़ रुपए हर साल गरीब तबके को पहुंचेंगे। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, गरीबी से मुक्ति मिलेगी, खाद्यान्न सुरक्षा होगी, nutrition मिलेगा और उनके बीच की aspirational class को ताकत मिलेगी, ecological balance ठीक होगा, biodiversity ठीक होगी, कार्बन में कमी आएगी। महोदय, सब से बड़ी बात यह कि आदिवासी समूह ने जो कीमत चुकायी है, उसके प्रति यह आंशिक कृतज्ञता होगी। व्यापक अर्थ में दूसरा कारण जंगल व पर्यावरण बेहतर होंगे, मानव समुदाय बेहतर होगा और भावी पीढ़ी के लिए हम यह सौगात छोड़ जाएंगे।

मैं अभी हाल में जाने-माने शीर्षस्थ लेखक अमिताभ घोष की एक किताब पढ़ रहा था, The Great Derangement: Climate change and the Unthinkable. उसमें एक जगह उल्लेख है, "No less than 24 per cent of India's arable land is slowly turning into desert and a two-degree Celsius rise in global average temperature. हम इस कारण इस का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सशर्त इसलिए कि माननीय सदस्य जयराम रमेश जी का कल एक बहुत ही passionate भाषण सदन ने सुना। मैं आदिवासी इलाकों में पिछले तीन दशकों से हूं। उनकी

† Transliteration in Urdu script.

4.00 P.M.

पीड़ा को आधुनिक समाज और शहर नहीं समझ सकता। यह राशि जंगल विभाग के सूखे मन के अफसर, मैं सूखा मन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनका कोई emotional relation जंगल और मिट्टी से नहीं होता, उस धरती से नहीं होता। इसलिए tribal इलाकों में rights of forest dwellers की रक्षा हो, individual rights, community rights की रक्षा हो, Forest Act, 2006 की रक्षा हो। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना जंगल आबाद करना कठिन कार्य होगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हाल में भारत सरकार ने रांची के पास के सिमोन उरांव व्यक्ति को पद्मश्री से पुरस्कृत किया है, जिन्होंने अपने प्रयास से जंगल को, degraded forest को बहुत बड़े पैमाने पर regenerate किया है। कल चर्चा हो रही थी कि natural forest कैसे लगेगा? तो वे भी नेचुरल फॉरेस्ट लगा सकते हैं।

महोदय, मैं इस विषय पर बहुत विस्तार से बोलता, लेकिन जयराम रमेश जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक-एक चीज रखी है, मैं दो बातें इस में और जोड़ना चाहूंगा। किसान व स्थानीय लोग जंगल व धरती की भाषा समझते हैं। उनका हवा और उसके स्पंदन से जीवंत संबंध होता है, इसलिए वे उसे बेहतर तरीके से खर्च करेंगे। आज मैंने सूचना देखी थी कि चीन ने 10 करोड़ हेक्टेयर में जंगल लगाने का काम अपनी कम्युनिटी को सौंपा है। 50 बिलियन की राशि है। तीसरी चीज़, जन अभियान से क्या लाभ होता है? बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कुछ वर्षों पहले इस काम को पार्टी सदस्यता अभियान के साथ जोड़ा था कि जो लोग पेड़ लगाएँ, हमारी पार्टी में आएँ। तब करोड़ों पेड़ लगे थे। पेड़ का, जंगल का लोकल कम्युनिटी से क्या संबंध होता है, मैं उस संदर्भ में एक प्रसंग और सुनाना चाहूंगा। यहां काका कालेलकर के नाम का उल्लेख हुआ है। काका काकेलकर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं एक बार मध्य प्रदेश के भील समुदाय के एक बच्चे को अपने साथ लाया कि शहर में वह रहे, हमारे साथ काम करे। उन्होंने लिखा है कि मैं अक़सर देखता था कि वह बहुत उदास रहता था, कुछ करता नहीं था और छत पर सोता था। मैंने एक दिन उससे पूछा कि, क्या यहां तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम जंगल में रहते थे? उसने कहा कि नहीं, मेरा मन इस शहर में नहीं लगता। मुझे पेड़, पौधों के बीच जाने दीजिए, उस जंगल के बीच जाने दीजिए, मैं वहीं पर रह सकता हूं। इस तरह से वह मानस हमारा शहर नहीं समझता है। मैं अंत में मंत्री जी से चार, पांच चीज़ें यह कहना चाहूंगा कि ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप जल्दी बोलिए, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया है।

श्री हरिवंश: सर, एक मिनट। मुझे पांच चीज़ें कहनी हैं। झारखंड के इलाके में, बड़े पैमाने पर इस तरह के फंडों का पहले कैसे इस्तेमाल होता रहा है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, ताकि लोग जयराम रमेश की बातों को समझ सकें। इस देश में, 80, 90 के दशक में, कोयला खदानों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर बालू के ठेके में कई हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए, पर कुछ हुआ नहीं। कम से कम सरकार को यह गौर करना चाहिए कि इस फंड की हालत वही न हो जाए। वहां हर साल गरमियों में तालाब, चैक डैम और पेड़ लगाने का भी जंगल अभियान चला, पर यदि कभी उसका सोशल ऑडिट हो जाए, तो हकीकत पता चल जाएगी। मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि 22 जुलाई को भास्कर अखबार ने एक अच्छी रिपोर्ट दी है कि सरकारी

[श्री हरिवंश]

अफसरों द्वारा पेड़ लगाए जाने की क्या हकीकत है। हम वही काम इन 42,000 करोड़ से न करें, मैं इसके लिए सावधान करते हुए और उस रिपोर्ट का एक अंश कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। हर दो साल में जारी होने वाली सरकारी फॉरेस्ट रिपोर्ट हमेशा सवालों में रही है। 2013 की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में 5,871 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ गया। इस पर ब्रिटिश अखबार, The Guardian ने सवाल उठाया था। 2015 की रिपोर्ट पर तमिलनाडु की Anna University के Centre for Climate Change and Adaptation Research ने कहा था कि जितना दावा रिपोर्ट में किया गया है, हो सकता है कि उससे आधा जंगल ही वास्तविक रूप में मौजूद हो। ऑस्ट्रेलिया की Melbourne University ने एक रिसर्च में कहा है कि भारत में जंगल तेजी से कम हो रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के हाथ में इन 42,000 करोड़ की यह हालत न हो, मैं इसके लिए आपको आगाह करना चाहता हूं। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri C. P. Narayanan.

SHRI C. P. NARAYANAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am starting my speech, highlighting the points which hon. Member, Shri Jairam Ramesh, explained in detail. When the forests are to be protected, the forest dwellers, particularly, the *adivasis*, who have been there for centuries, have to be protected. We had enacted an Act for them in 2006, where their *Gram Sabhas*, in which persons were individually and collectively, given certain rights. Those have to be protected. A mention of that in this Bill was necessary. However, we expect that those things can be included at least in the rules. Of course, that may be the only possibility now. We should have included provisions for them in the Bill. About quarter of a century back, we enacted the 73rd and 74th Amendments to the Constitution, giving rights to the *Panchayats*. But, when we look back to the history as to how it has been implemented in our various States, we find that in spite of these amendments to the Constitution, very little had been done in various States to hand over power as well as resources to the local bodies. In such a situation, this is highly necessary in the case of *adivasis*, who are the most neglected. It is borne out of the facts that their education, health conditions, livelihood, everything is in a very bad condition. So, that part should have been included, and our party has brought in an amendment to this, that has to be considered. That is what I have to say. The second thing I want to say is this. Maybe, the present Government and the previous Government are having a satisfaction that during the '90's there had been an increase of .22 per cent in the forest cover. Between 2000 and 2010, in that decade, the increase in the forest cover had been .4 per cent. It has increased.

As my hon. friend, Harivansh has just now said between 2013-15, more than 5,000 hectares of land had been afforested. This is a very good description in

figures. But there have been various studies by competent authorities and groups in our country on this issue. I will just mention in what way this has been done by KDPL at Kudremukh forest in Karnataka where iron-ore has been excavated. After afforestation had been done, what did they do? In these slopes there were lakhs of tonnes of loose mud. There was a 100 meter deep valley which was filled up by this loose mud. The eco system of the valley had been completely annihilated.

Secondly, for the afforestation what do they do? The grassland above is a system which has been there for long. They have planted millions of non-native trees. That has been the afforestation. Now such an afforestation will not do good for that land. So, what happened is that the Bhadra River watershed in that area got fully annihilated by these three interventions. Now, if we are doing afforestation in this fashion, that will not do good. That is what the C and AG Report of 2013 has pointed out.

Regarding Bhadra watershed afforestation certain competent studies show that 74 per cent of that was unsuccessful.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. Your time is over.

SHRI C. P. NARAYANAN: I am concluding. Only 13 per cent was successful. So, what we want is afforestation but it is not just planting trees in any place. It has to be done in a proper manner and in a scientific manner. Only then can we have afforestation. Only then can such forests can do five kinds of duties. I do not want to go into the details. If a forest has to do its *dharma*, its functions, then, afforestation has to be done properly. What we had done, in the past, do not belong to that group. When we say that ₹ 42,000 crores will be given to the States for doing afforestation as they were doing in a manner earlier, it will be a big tragedy. It should be avoided. Thank you.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): सर, finally आज CAMPA Bill पास होने जा रहा है और मैं इस बिल के सपोर्ट में कुछ कहने जा रहा हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, CAMPA Fund के लिए ओडिशा का contribution काफी है, यह लगभग 7 हजार करोड़ है। मैं मंत्री जी से उम्मीद करता हूँ कि यह बिल पास होने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्यों को फंड दिया जाएगा और इसके लिए deadline भी तय की जाएगी, ताकि देरी न हो।

महोदय, CAMPA Fund के बारे में हमारा पहला सुझाव है कि क्लॉज 3 में राज्यों द्वारा जुटाए गए धन का 10 प्रतिशत नेशनल फंड में रखने का जो प्रावधान किया गया है, उसे घटा कर 2 प्रतिशत किया जाए, क्योंकि afforestation और उससे जुड़े जमीनी काम राज्य सरकारें ही करती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में रिसर्च करने का प्रयास करती हैं, साथ ही स्टडी करके नई-नई चीजें करने का प्रयास करती हैं, इसलिए नेशनल फंड में इसको 10 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत किया जाए।

[श्री दिलीप कुमार तिर्की]

महोदय, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ वायु चाहिए और इसके लिए घने जंगल चाहिए, इसके लिए नेशनल अथॉरिटी में जितना भी पैसा आ रहा है, उसका सटीक उपयोग होना चाहिए, सटीक विनियोग होना चाहिए। Infrastructure, बिल्डिंग, रोड आदि में इसका उपयोग न करके अथवा इधर-उधर खर्च न करके इसका उपयोग रिसर्च में, forest growth में, जंगल की सुरक्षा में और wildlife में करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि कई पथरीली जगहों पर हजार-हजार पेड़ लगे होते हैं, लेकिन उसकी कोई care नहीं हो रही है। 8-10 साल के बाद भी वह पौधे का पौधा ही रह जाता है, इसका भी ध्यान रखा जाए। आजकल हम यह भी देख रहे हैं कि जहां घने जंगल हैं, वहां पर आसानी से आग लग जाती है। 4-5 महीने पहले हमारे मयूरभंज के सिमलीपाल में काफी ज्यादा आग लग गई थी, जो बहुत मुश्किल से काबू में आई। ऐसी ही आग उत्तराखंड में भी लगी थी। आग लगने के बाद जब हजारों-लाखों पेड़ नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम वहां पहुँचते हैं। आग बुझाने के लिए कोई आधुनिक इक्विपमेंट लाया जाए, तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा।

महोदय, एफोरेस्टेशन के दौरान हम पेड़ों को काटते हैं, लेकिन उसकी जगह पौधे लगा देते हैं, जबकि एक पौधे को पेड़ बनने में 25-30 वर्ष लग जाते हैं। हर साल हम हाईवेज़ और रोड्ज़ बनाते रहेंगे, लाखों पेड़ कटते रहेंगे, लेकिन उसकी जगह सिर्फ पौधे ही लगा देंगे। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आजकल हम देख रहे हैं कि चीन जैसे देशों में कई नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, जिसमें बड़े-बड़े पेड़ों को निकाल कर किसी और जगह लगा दिया जाता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को हमें भी अपनाना चाहिए, ताकि उन पेड़ों की जगह लगाए गए छोटे-छोटे पौधों के पेड़ बनने तक हम 25-30 का इंतजार न करें और हमें स्वस्थ जीवन के लिए जिस प्रकार का घना जंगल चाहिए, वह बना रहे।

महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि कल हमारे एक ऑनरेबल एमपी साहब ने हमारे मुख्य मंत्री जी की तारीफ की थी, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली बार भारत में ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (आंध्र प्रदेश): मैंने विनती की थी, तारीफ नहीं की थी।

श्री दिलीप कुमार तिर्की: आपने कल उनकी तारीफ की थी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भारत वर्ष में, हमारी सरकार के राज्य में, मुख्य मंत्री, श्री नवीन पटनायक जी के समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि जंगल में हमारे जो आदिवासी और वनवासी लोग रहते हैं, जो पिछले बीस, तीस, पचास या सौ सालों से वहीं रह रहे हैं, पहली बार उनको जंगल की जमीन पर पट्टा दिलवाया गया है और यह काम सबसे ज्यादा हमारे राज्य ओडिशा में ही हुआ है।

महोदय, और ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि के महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक देश के प्रत्येक राज्य के अधीन एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतिकारात्मक वनरोपण करने, निधि के प्रशासन के लिए

राष्ट्रीय और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्राधिकरण के गठन और पाद, बागान रोपण, वन संरक्षण, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम और इस प्रकार संग्रहित धनराशियों के उपयोजन व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अभिकरणों से वसूल की गई रकम जमा करने आदि के संबंध में उपबंध करने हेतु लाया गया है।

महोदय, यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के आधार पर तदर्थ प्राधिकरण के पास संचित निधियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संग्रहित की जाने वाली निधियों का किसी पारदर्शी नीति में सुरक्षा और त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा एक राष्ट्रीय प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण तथा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि तथा राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण सृजित करने का प्रस्ताव करता है।

महोदय, यह विधेयक वन भूमि के परिवर्तन के कारण पैदा हुए दबाव को कम करने के अलावा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में लाभकर संपत्तियों की संरचना के साथ रोजगार के असंख्य अवसर पैदा करेगा। साथ ही साथ प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के पास संचित अव्ययित धनराशि जो वर्तमान में 40 हजार करोड़ रुपए है एवं पूंजित अव्ययित शेष पर प्रतिपूरक वनरोपण एवं ब्याज का ताजा संग्रहण, जो कि सालाना लगभग 6 हजार करोड़ रुपए होगा, का सक्षम एवं पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य में एवं केंद्र-शासित प्रदेशों में प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था करता है। यह प्राधिकरण गैर-वनीय उद्देश्य हेतु वन भूमि के परिवर्तन से इकट्ठी हुई धनराशि का उपयोग कृत्रिम वृक्षारोपण में प्राकृतिक तौर पर होने वाले वृक्षारोपण की मदद में, वनों के संरक्षण के लिए, वनों की अवसंरचना के विकास हेतु, हरित भारत कार्यक्रम के लिए एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण करने एवं वनों का संरक्षण तथा विकास सुनिश्चित होगा तथा वन भूमि में बदलाव का असर कम किया जा सकेगा।

महोदय, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए, परन्तु राज्यों में वन क्षेत्र मानक के अनुसार नहीं हैं। औद्योगीकरण के फलस्वरूप जंगलों को काटा जा रहा है। ऐसे में, इस विधेयक का महत्व और बढ़ जाता है, जहां विकास के साथ वनीकरण व जीव संरक्षण हेतु समुचित प्रबंध की बात कही गई है और सक्षम प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किया गया है।

महोदय, हमें वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु वन महोत्सव मनाना चाहिए, जिसमें सरकारी महकमों, स्थानीय निकायों, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों, स्कूल-कॉलेज, उद्योग समूह और जन-भागीदारी से वृक्षारोपण का कार्य करवाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ भी वनीकरण किया जाना चाहिए। रेलवे की संपत्तियों पर भी सामाजिक वनीकरण होना चाहिए।

महोदय, वैकल्पिक वनीकरण के लिए सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक समय की मांग है और यह राज्य, संघ क्षेत्र को वनीकरण करने हेतु सशस्त करता है, परन्तु राज्यों को धन आवंटन प्रक्रिया एवं उसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे व वन क्षेत्र भी बचे रहें।

[श्री वीर सिंह]

महोदय, वनों में आए दिन आग लग जाती है, जैसे उत्तराखंड में जो वनों में आग लगी थी, तो उससे वहां काफी जीव-जन्तु मारे गए थे और वनों का काफी नुकसान हुआ था। इसके लिए हमें आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आग को रोकने से रोका जा सके। दूसरा, वनों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो उनकी जमीनें कंपनियों के लिए ली जाती हैं, वहां जो पेड़ लगे होते हैं उनको भी काटा जाता है, इसमें उन आदिवासियों को मुआवजा दिलाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): वीर सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिएगा।

श्री वीर सिंह: तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): महोदय, हम जिस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे जिले का हूँ और हमारे दिग्विजय सिंह साहब जानते हैं कि वहां पर काफी बड़ा वन क्षेत्र ऑलरेडी है और वन क्षेत्र के साथ-साथ हमारा पूरा इलाका जो है, आप भी वहां से वाकिफ ही हैं कि एक ओर मंडला, जबलपुर है और इस ओर बस्तर, गढ़चिरौली का सारा इलाका उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास और वन, इन दोनों को साथ-साथ में चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आपको बड़ी मशक्कत के साथ निभाना होगा। सवाल यह है कि आपने ही कल आंकड़ेवारी में कुछ कहा था कि 2009 में कैम्पा का फंड 10,000 करोड़ का था और अभी 2016 में कैम्पा का फंड 42,000 करोड़ का हो गया है। इससे भी क्या indication होता है? Indication is that जिस तेज़ी के साथ हमारा विकास हो रहा है, चाहे रास्ते बन रहे हों या उद्योग आ रहे हों, हमारे इरिगेशन के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हों, पॉवर प्लांट्स आ रहे हों, ...(**व्यवधान**)... जिसका भी प्लांट आप कहना चाहते हैं, जिसको आपने रोका था, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अदानी का पावर प्लांट मेरे क्षेत्र में है, क्योंकि आपको उसमें विशेष रुचि रही है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों से यह साबित होता है, इस आंकड़ेवारी से ही कि किस तेज़ी के साथ हमें विकास के लिए वनों की क्षति करते हुए भी अपना विकास करना आवश्यक हो गया है। So, it is nature and development conflict which has to be addressed very meaningfully and that is why this CAMPA Fund has been created. And, there is no doubt that this ₹ 42,000 crores must be transferred as soon as possible to States because they are the ones who have to, actually, implement it.

इसमें मेरा केवल एक ही सुझाव है, मैं बहुत ज्यादा या लम्बा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अपने ही क्षेत्र का जिक्र क्यों किया? लोगों को क्या लगता है? दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, इसलिए उन्हें भी ज्यादा मालूम है कि लोगों को यह लगता है कि हमने अपने वन बचा कर रखे, इसलिए सबसे ज्यादा हमें ही इसकी परेशानी उठानी पड़ती है। जब डेवलपमेंट होता है, तो हमारे ही ऊपर सबसे ज्यादा यह बोझा आता है कि क्योंकि आपके यहां वन हैं या आपके यहां पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, इसलिए यहां पर विकास नहीं हो पाता है। तो वहां के लोगों के मन में हमेशा यह एक conflict रहता है।

सर, आज मैं महाराष्ट्र का एक किस्सा बताना चाहूँगा। जहां पर compensatory afforestation के लिए आप जो पैसा देंगे, यह पैसा कहां खर्च होगा, यह उन्हीं जिलों में ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा, जहां पर वन हैं, क्योंकि जहां पर कटा, वहीं का वहीं आप लगवाएँगे। उस राज्य का इतना बड़ा क्षेत्र है, बाकी जिलों में, जहां पर वन है ही नहीं, जहां पर बंजर भूमि बहुत मात्रा में अवेलेबल है, वहां पर यह पैसा खर्च करने के लिए राज्य सरकार भी अपना ज्यादा दिमाग या ध्यान उसमें नहीं लगाती है। इस वजह से यह बहुत जरूरी है कि when you prepare guidelines or rules, you must make sure that forest cover is uniformly distributed. Though it may be there in principle, in implementation, it is not actually happening. मुझे मालूम है कि हमारे यहां पर कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनता है या पावर प्रोजेक्ट बनता है, तो उसका compensatory afforestation वे कहते हैं कि यहीं के यहीं डबल लैंड वहीं करना है। मेरे क्षेत्र में झुड़पी जंगल एक nomenclature है, that is degraded forest. उस degraded forest को ही वहीं पर जंगल लगाने की बात होती है। पूरे राज्य में कितनी बंजर जमीन पड़ी है, वहां पर इसे लगाने की कोई सोचता ही नहीं है। इसी वजह से आज यह Compensatory Afforestation Fund इतनी बड़ी तादाद में जब स्टेट्स को दिया जाएगा, तो उसका सही तरह से उपयोग होना चाहिए। It should be uniformly distributed. That is the first thing.

Second thing which I would like to make is this. And, this is firsthand observation. हमारे यहां वन विभाग की ओर से compensatory afforestation, वृक्षारोपण यहां-वहां करते रहते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन what type of tress are being planted? Are they useful for future generations? केवल पेड़-पौधे लगा दिये और उनको बड़ा कर दिया, इससे नहीं होगा। जैसा कि जयराम रमेश जी कहते हैं कि इसके लिए local community को involve किया जाए। यह सही है कि वहां की local community को इसमें involve करना चाहिए, क्योंकि हर सोसाइटी में social forestry होती है, हर गांव में होती है। इसके लिए जमीन दी गई है। उस social forestry के माध्यम से उस गांव को कितना पैसा मिल सकता है, वहां की community की किस तरह से आमदनी बढ़ सकती है या उससे सारे स्टेट्स या पूरे देश को किस तरह से फायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। केवल random afforestation करना कोई सही नीति नहीं होगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ₹ 42,000 crores is a very big amount. If you look at it as a sub-head, I think, it would be one of the largest sub-heads available to the States for spending, as and when this money is transferred.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI PRAFUL PATEL: Therefore, these ₹ 42,000 crores must be spent intelligently, wisely and uniformly. I think this is the need of the hour. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am in broad agreement with the observations made by Mr. Jairam Ramesh. Sir, this Bill has a very limited purpose, that is, to distribute the funds — 10 per cent to National Fund and 90

[Shri D. Raja]

per cent to State Fund. But there are certain larger questions involved. I think the Minister understands this. The larger question is: How are we going to protect our biodiversity? Forest does not mean only trees, cutting down some trees and planting some trees somewhere else. That is not the issue. The larger question is: How are we going to preserve our biodiversity? Forest means, forest dwellers, people; forest means the animals which live in forests; forest means a whole comprehensive biodiversity. Afforestation means just recreation of forests. What is our understanding of recreation of forests? How are we going to protect our biodiversity? We discuss many things like climate change, global warming and how to mitigate the impact of those things. But when it comes to our own concerns, how are we going to address them? The Minister should take note of this, the question of protecting the biodiversity. How are we going to do that? This is number one.

Number two, mostly, the forest dwellers are tribal people. They are *dalits* mostly. There could be some others also, but, mostly, they are tribal people, they are *dalits*. Their livelihood depends upon the forests. How are we going to address their concerns, their livelihood? People are important. You cannot, simply, evict people. There are instances. Despite the Forest Rights Act, the forest dwellers are forcibly evicted. It happened in several States. As a Government, the Government has failed. As Parliament, Parliament has failed. Parliament passed the Forests Rights Act, but Parliament failed to protect the forest dwellers. They are being evicted. How are you going to address that question?

Number three, when you take our forests, maybe, for industry, maybe infrastructure, maybe something else, but who decides this. How do you decide this? There, I think, the opinion of *Gram Sabha* matters. You will have to take *Gram Sabh*a into confidence. We may think we are Chief Ministers, we are Ministers and we know the geography, the history, the sociology, the psychology of people better than anybody else. We may claim this. But they are the people, the *Gram Sabha*, living there. They are the villagers, they live there. The forest dwellers, they live there. They smell the soil, they smell the plant, they smell the grass and they know better than anybody else. We should take their opinion. They must be taken into confidence. There, I agree with my good friend, Shri Jairam Ramesh. The approval of *Gram Sabha* is necessary. Their sanction is necessary. They must be taken into confidence. Sir, you may not agree with the Communists, or, Shri Jairam Ramesh may also not agree with the Communists, but we should, at least, believe in science, dialectics of nature. There should be balance between land, people, water and air. There should be a balance. Only then, you can build an eco-friendly society and preserve the biodiversity in our country.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का जो उद्देश्य है, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन बिल में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसका मैं घोर विरोध करता हुं उसका कारण है क्योंकि इस पूरे नेशनल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी में केवल अधिकारियों का बाहुल्य है, न तो संसद सदस्य उसमें रखे गए हैं, न विधायक रखे गए हैं, न जंगल में रहने वाले आदिवासी रखे गए हैं और न जंगल में रहने वाले गैर-आदिवासी ही रखे गए हैं। 90 प्रतिशत अधिकारियों के माध्यम से यह योजना बनाई जाएगी, क्रियान्वयन भी उनके माध्यम से कराया जाएगा। मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जैसा जयराम रमेश जी का भाषण हुआ था, उन्होंने तो केवल बिल पर भाषण दिया। मैं माननीय भुपेंद्र यादव जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने पूरे भाषण में सब कुछ कहा केवल इस बिल के बारे में कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि उन्होंने अपना यह भाषण अगले मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया हो। लेकिन इस मामले में इनकी जो विचारधारा है और इनका जो मानस है, वह परिलक्षित होता है। आदिवासियों के रहन-सहन, उनको हर योजना में शामिल करना, यह मूल रूप से कांग्रेस पार्टी का हमेशा से उद्देश्य रहा है। यदि आप देखेंगे, जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, अधिकांश जंगलों में PESA का पूरा उल्लंघन किया गया है। मैंने आदिवासी मंत्रालय के लोगों से भी चर्चा की। यह बिल जो था, जो आदिवासियों से संबंधित है, उस मंत्रालय से भी विचार-विमर्श नहीं किया गया। Forest Rights Act का भी इसमें उल्लंघन होना स्वाभाविक है। ग्राम सभा हमारे विचार का एक आधार है, एक मूल मंत्र है। जयराम रमेश जी ने जो बात कही है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। जितनी भी योजनाएं बनेंगी, इस पूरी योजना को बनाने में स्टेट की अथॉरिटी की एक्जीक्यूटिव कमेटी को अधिकार दिया गया है और स्टेट की एक्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जिला परिषद के केवल दो सदस्यों को शामिल किया गया है। उसमें आदिवासियों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आज भी Forest Rights Act के 60 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को अधिकार नहीं मिल पाए हैं। 2005 तक जिन पर आदिवासियों का कब्जा था, उनको अभी तक इसमें अधिकार नहीं मिल पाया है। कई राज्यों ने अच्छा काम किया, कई राज्यों ने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार के अधिकारियों ने फॉरेस्ट डवेलर्स के लिए तीन जेनरेशन का 75 साल की एक प्रक्रिया तय कर दी है, जो कि मैं समझता हूं कि अनुचित है। अधिकांश फॉरेस्ट डवेलर्स के पट्टे रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि उनको जबर्दस्ती हटाया जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब तक Forest Rights Act के जितने भी केसेज़ सेटल न हो जाएं, उस क्षेत्र में कोई afforestation का काम प्रारम्भ नहीं करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने स्टेट अथॉरिटी को कोई अधिकार नहीं दिया है। जितने भी अधिकार हैं वह सब नेशनल अथॉरिटी को दिए हैं। सारा प्रस्ताव बनेगा राज्यों में, जाकर केंद्र में पहुंचेगा, पूरे देश से कितनी योजनाएं आएंगी, कैसे उसका क्रियान्वयन कर पाएंगे, कैसे उसकी मंजूरी दे पाएंगे? मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस पर आप पुनर्विचार करें और उसमें स्टेट ऑथारिटी को भी मंजूरी का अधिकार दें।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा स्वयं का यह अनुभव रहा है कि जहां-जहां भी आपने प्लांटेशन किए हैं, वे असफल हुए हैं। बाहर की प्रजातियों का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह रहा है कि अधिकांश प्लांटेशन जो जंगलों में हुए हैं, वे असफल हुए हैं। लेकिन अगर आप चारागाह पर free grazing रोक दें और alternative areas को grazing के लिए लें,

[श्री दिग्विजय सिंह]

तो जंगल में पुनर्जीवित होने की अपार क्षमता है। Regeneration of forests takes place the fastest rather than the plantation. इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आप अपनी योजनाएँ बनाएँ तो उसमें सबसे पहले इस बात का प्रतिबंध करें। आप आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार कराकर compartments बना दें और कहें कि alternate grazing होगी। इस साल एक कम्पार्टमेंट में ग्रेजिंग हो, अगले साल दूसरे कम्पार्टमेंट में ग्रेजिंग हो, ताकि वहां regeneration का मौका मिलता रहे।

मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि आप राज्यों को 42,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। वह 42,000 करोड़ रुपये की जो राशि है, उसमें यदि आप रोज़गार को ज्यादा महत्व देंगे तो उचित होगा। मेरी यह धारणा है और मेरा यह शक है कि अधिकांश राशि अधिकारियों को वेतन बांटने में खर्च की जाएगी। इसलिए नेशनल अथॉरिटी के पास जो 10 प्रतिशत पैसा रखा गया है, उसको वहां रखने की क्या आवश्यकता है? यहां आपकी कौन-सी योजना नेशनल लेवल पर बनेगी? सारी योजनाएँ स्टेट्स से बनकर आएँगी, इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए।

आखिर में, मैं आपसे दो और बातें कहना चाहता हूँ। मेरा हमेशा यह मानस रहा है, मंशा रही है और विचार रहा है कि Forest Rights Act में Minor Forest Produce के अंतर्गत बांस को शामिल किया जाए, जिसका उदाहरण जयराम रमेश जी ने भी दिया है। अधिकांश राज्यों के फॉरेस्ट विभाग के लोग बैम्बू को आज भी Minor Forest Produce नहीं मान रहे हैं, जबकि यह आदिवासियों तथा जंगल में रहने वाले लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा।

अंत में, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश में वर्ष 1927 के फॉरेस्ट ऐक्ट में उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट के सारे अधिकार उनसे ले लिए गए। Forest Rights Act में उनको कुछ अधिकार वापस देने का प्रयास जरूर हुआ है, लेकिन जब तक जंगल में रहने वालों को जंगल का पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाएगा और जब तक उनको conservation of forest का एक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, तब तक आप जंगलों की रखवाली नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आप पुनर्विचार करें और मेज़र टिम्बर को भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल करें। तत्पश्चात्, उससे जो भी आमदनी हो, उसमें जंगल में रहने वाले लोगों और आदिवासियों के लिए हिस्सा लाने का प्रयास करें, तभी जाकर हम उनका विकास कर पाएँगे। मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि मैं उद्देश्य का समर्थन करता हूँ, लेकिन प्रक्रिया का घोर विरोध करता हूँ। आपने इस पूरी प्रक्रिया में न तो ग्राम सभा को शामिल किया और न ही आदिवासियों को शामिल किया, बल्कि आपने आदिवासियों और forest dwellers को वहां से जबर्दस्ती हटाने का एक और रास्ता खोल दिया है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, धन्यवाद।

श्री लाल सिंह वडोदिया (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा CAMPA Bill के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इस धनराशि का उपयोग उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वनारोपण करने हेतु एवं वनों के संरक्षण तथा विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा, ताकि वन भूमि में बदलाव का असर कम किया जा सके। दरअसल जब भी कोई परियोजना बनती है और उसमें पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बदले में अतिरिक्त पेड़ लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए सरकार को एक निश्चित राशि चुकानी पड़ती है। इस राशि का इस्तेमाल

वनीकरण के लिए किया जाता है। वर्ष 2002 से लेकर आज तक इस मद में 42,000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं और हर साल इसमें 3,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्पष्ट दिशानिर्देशों के अभाव में इस राशि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

(**श्री उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

इस राशि का इस्तेमाल हो सके, इसके लिए सरकार ने क़ानून बनाने का फैसला किया, जिसके मद्देनजर लोक सभा में Compensatory Afforestation Fund Bill 8 मई, 2015 को introduce हुआ। उसे लोक सभा की स्टैंडिंग कमिटी को 21 मई, 2015 को रेफ़र किया गया, फिर स्टैंडिंग कमिटी ने उस पर 26 फरवरी, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और 3 मई, 2016 को लोक सभा ने यह बिल पास भी कर दिया।

माननीय उपसभापति जी, मेरी एक विनती है कि वृक्षारोपण के बाद, पौधे लगाए जाने के बाद जब तक वे पेड़ बन जाएं, तब तक उनकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी हरा-भरा और घना जंगल देख सके। जंगल को बढ़ावा देने के साथ-साथ wild animals का भी protection होना चाहिए। यह भी देखना पड़ेगा कि जो लोग जंगल में रहते हैं, खास तौर पर आदिवासी और वनवासी भाई—जंगल को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणी जीवन भी बना रहे और स्वयं आदिवासी और वनवासी भाइयों को भी जंगल से जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मात्र अधिकारियों द्वारा ही नहीं, बल्कि आदिवासी भाइयों को भी साथ रखकर जंगल के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इनका भी सहकार इसमें लेना चाहिए। जो राज्य, जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो village जिन पौधों को लगाते हैं, उनमें से अधिकतम पौधे पेड़ बनें, अगर वे ऐसी कार्यवाही करते हैं, तो उन्हें award देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्यों से मेरी विनती है कि वनीकरण के डेवलपमेंट के लिए 42,000 करोड़ से अधिक धनराशि देश के सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य में वन विस्तार के अनुसार मिलने वाली है। बहुत अच्छा वनरोपण केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में हो, इसके लिए हम सब मिलकर इस काम में सहयोग करें, क्योंकि हर राज्य को मिलने वाला पैसा रुका हुआ है। हम सब राज्यों को वह पैसा मिल सके, इसके लिए इस बिल को बिना विरोध पास करना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है, आभार।

SHRI T. K. S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for this opportunity. I am speaking on this subject with a sad heart because we think that forests are mere woods and bamboos, but forests are a rich system of biodiversity. The basic objective of the National Forest Policy, 1988 is 'maintenance of environmental stability through preservation and, where necessary, restoration of ecological balance.' The second objective is, 'Conserving the natural heritage of the country by preserving the remaining natural forest with the vast variety of flora and fauna, which represents the remarkable biological diversity and genetic resources of the country.' We have forgotten these two major issues which are found in the National Forest Policy.

[Shri T. K. S. Elangovan]

Sir, on diversion of forest land for non-forest purposes, the Policy says, 'Forest land or land with tree cover should not be treated merely as a resource readily available to be utilized for various projects and programmes, but as a national asset which requires to be properly safeguarded for providing sustained benefits to the entire community.' This is the National Forest Policy of this country since 1988, after which, no new Policy has been formulated. But we have forgotten this Policy. The Policy envisages about one-third portion of the land as forest cover. We think that forests are mere woods and bamboos. No, Sir, it is not so. There are hundreds of living things in the forests. There are animals, birds, insects, flora and fauna. But in the concrete jungle, where we live, the only living thing is the human being and some animals and birds which are tamed and domesticated to subserve the human being. We can construct high-rise buildings, but we cannot create forests. Forest is an asset which should have something more than the trees and the bushes. We are concerned about the endangered species, but we ourselves put them to danger. So, my humble request here is that we should not utilize the forest area for industrial or other purposes. So, I would like to say that when we talk about this Compensatory Afforestation Fund, the phrase, 'compensatory afforestation', itself means relocation of forests. Even people do not want to get relocated. How can these voiceless animals and birds fight with the Government to ensure that they are not relocated? They cannot. That is why, we are taking away the forests. We are usurping their land. So, my request to the Government, and through the Government, to the various State Governments, is that in this Compensatory Afforestation Fund, the title itself should be renamed. The title should be renamed as 'Targeted Afforestation Fund' and we should try to reach the target of putting 33.13 per cent of the land area under the forest cover, which was envisaged by the National Forest Policy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Shantaram Naik - not there. Shri Madhusudan Mistry. Mistryji, you have three minutes. Your Party has no time, but I am giving you three minutes.

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः सर, मेरे नसीब में हमेशा तीन मिनट ही लिखे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: And, the person responsible is sitting there. ...(*Interruptions*)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Whether I speak on the issue of child labour or any other issue, the time, which is left for me, is always three or four minutes; nothing more. Anyhow, whatever I want to say, I hope you will allow me to speak. सर, मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि यह compensatory afforestation आप कौन सी जमीन पर करोगे? आपको झाड़ तो लगाने हैं। जहां एक जमाने में Reserved Forest declare हुए

थे, वहां पर वर्किंग प्लान की वजह से सब झाड़ कट गए और बाद में re-generation का कार्य नहीं हुआ। बस यह जमीन है और इस के ऊपर जो किसान खेती करते हैं, वह रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। वह किसी ग्राम पंचायत के पास नहीं है और न वह उसमें intervene कर सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो यह पैसा जा रहा है, उसे सीधे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर और जहां sanctuary बाद में declare हुई है, क्योंकि 1927 का Forest Act है, उसके अंदर फॉरेस्ट डिक्लेअर करने की जो प्रोसेस पूरी अपनायी गयी, वह ज्यादातर जगहों पर नहीं हुई और वे फॉरेस्ट डिक्लेअर हो गए। उसके अंदर forest villages हैं, जिन्हें अभी तक आपने revenue village डिक्लेअर नहीं किया। कुछ हुए भी तो वे कागज के ऊपर ही हुए। वहां पर पंचायत भी नहीं है और न ही उन्हें कोई लाभ मिलता है। इस देश के अंदर ऐसे भी कई फॉरेस्ट विलेजेज हैं। उनकी क्या स्थिति होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं? मेरी यह भी विनती है कि गुजरात के अंदर World Bank का Social Forestry का project है, राजस्थान में सोशल फॉरेस्ट्री का प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड बैंक फॉरेस्ट प्रोजेक्ट बंद हुआ तो Japan Development Agency ने उसके अंदर काम किया। उसके अंदर पूरा Extension Department खड़ा हुआ। दो डिपार्टमेंट हैं - Territorial and Extension. Extension के अंदर street plantation आता है, जिसमें canal plantation, railway plantation, road-side plantation - ये सब उसके अंदर आते हैं। उसके आने से पहले village wood-load जो रेवेन्यू के अंदर आता है, पंचायत के पास से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका रिजॉल्यूशन ले लेता है और वह जमीन उसके पास वापस नहीं जाती है। गुजरात में Joint Forest Management Committee बनी और दूसरी जगहों में भी बनीं, 30 साल का एग्रीमेंट हुआ, झाड़ बड़े हो गए, लोगों ने अपना सब कुछ लगाया, लेकिन उन्हें अभी तक वहां पर शेयर नहीं मिला और नए नोटिफिकेशन में कहा कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फॉरेस्ट ग्रुप ने भी CCF बनाए, DCF बनाए, Assistant Conservator of Forest बनाए उसके अंदर अलग-अलग सर्कल्स बनाए, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूर को कुछ नहीं मिला। आज भी घरों के बीच से extension करने वाले उसके अंदर से पत्थर की दीवार बनाते हैं, आज भी खेत के अंदर जिसे आपने पट्टे दिए, मेरे सवाल के जवाब में परसों सरकार ने बताया कि इसके अंदर टोटल 17,46,000 टायटल दिए गए।

उसमें टाइटल लिखा है, लेकिन मिनिस्टर साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह टाइटल नहीं है, यह लैंड राइट कल्टिवेशन - यदि वह कल्टिवेशन की है, तो राइट दिया गया है। आज भी अधिकार-पत्रों को नहीं मानते हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसके अंदर पूरा जाकर प्लांटेशन करते हैं। वे बबूल के बीज डाल देते हैं, उसके अंदर मवेशी छोड़ देते हैं, लोगों को उठाकर मारते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके अंदर आपके हाथ में फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आपके हाथ में इंटरप्रेटेशन भी नहीं है। मैं यदि 2003 से 2006 के समय का कहूं, तो 2006 का कानून लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। उस कानून के अंदर हमने जो-जो चीज़ें रखी थीं, आज उनका implementation नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, हर एक की अलग इंटरप्रेटेशन दी है। यदि मैं पेंशन लेता हूं और मेरा बेटा खेत जोतता है तो मेरे बेटे को जमीन नहीं दी जाती, क्योंकि वह यह बोलता है कि बोनाफाइड लाइवलिहुड नहीं है। ये सब इश्यूज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ भी जुड़े हैं। मेरा इस बारे में बहुत रिसेंटमेंट और एप्रिहेंशन है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू जमीन

[Shri Madhusudan Mistry]

के अंदर एफॉरेस्टेशन करने वाला हो, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जंगल के अंदर, जहां पर लोगों का अधिकार है, हमें वहां प्रॉब्लम है। वे अभी तक सैटल नहीं हुए हैं। 2006 का कानून है, ...(**समय की घंटी**)... मैं यादव जी से बता दूंगा कि फर्स्ट कमीशन ...(**व्यवधान**)... 1962 के अंदर हुआ था। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; all right.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, let me finish. ...(*Interruptions*)... I am not talking anything which is irrelevant. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very relevant. ...(*Interruptions*)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Unfortunately, I am the last Member from my party and do not have time. Otherwise, I would have ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party has no time left. I have given you three minutes. That is extra from my side. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Harshvardhan Singh. You have only three minutes. ...(*Interruptions*)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I was about ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That party has much more time, yet I am giving him only three minutes.

श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर (राजस्थान): सर, मेरी मेडन स्पीच है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; not maiden in this debate. Then, you sit down and speak on another one. ...(*Interruptions*)... Then you don't speak.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: But I want to say something. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; I tell you and advise you also, if you want it to be noted as a maiden speech, do not do it here; speak in the next debate. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): He is restricting himself to three minutes only. ...(*Interruptions*)... Let him speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; I can allow three minutes. ...(*Interruptions*)... You have been given three minutes. That is over. ...(*Interruptions*)... Your party does not have even a single minute more, yet I gave you three minutes. You have taken extra time. They have more time, yet I am giving him only three minutes. Sit down. I have to be fair. It is his maiden speech, yet I am giving him only three minutes.

...(*Interruptions*)... I am not unfair, but I have time constraint. ...(*Interruptions*)... Now, please. ...(*Interruptions*)... I am helpless. There is time constraint. I have done more justice to you. Even though there was no time left, I gave you three minutes. Now, Mr. Harshvardhan, please speak.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: Mr. Deputy Chairman, Sir, the CAMPA Bill is an important piece of legislation that had been hanging fire for more than a decade. The present Government is keen to pass this very significant legislation. Sir, in India, we need to increase the carbon sink and reduce the carbon footprint. India needs to improve its carbon credit. Sir, passing legislation is one thing; we have many laws, but the crux of the matter is that we need proper monitoring. So, Sir, the afforestation drive should not be left to just digging pits and planting saplings. My main point is that unless you protect the area, it would not have any benefit from planting saplings and all. The only way to revive degraded forest is to give it proper protection. That is the only way the forests can be revived. I would agree with Shri Jairam Ramesh when he said that it is better to concentrate on degraded forests than to take up a new area and plant the whole lot of saplings. Sir, I can't reiterate this point more than by saying that we need to protect the forest areas specially by building fences and walls. Sir, we live in a tropical country with a tropical climate where we have plenty of sunshine and warmth. We have the coppicing forests. So, the rejuvenation is very fast.

Sir, we are very lucky to be living in such a country. Sir, the afforestation drive will not be successful without taking the local communities into confidence. They have to act like the vigilantes. Those communities or villagers who help in protecting forests must be given a reward. It has to be a *quid pro quo*. Sir, I would like to make a point that if the gas connections for cooking reach the remotest areas, it will reduce the demand for wood. Sir, we also need to change the construction techniques of the village huts made of country tiles. ...(*Time-bell rings*)... We need to give them an alternative piece of material. And we also need to give them solar cookers so that the demand for wood reduces. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Anil Desai. You have only three minutes.

SHRI ANIL DESAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support this Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016. The Bill is creating a permanent National Compensatory Afforestation Fund as against *ad hoc* fund. As Mr. Jairam Ramesh had enlightened the House, the fund was ₹ 1,000 crore in 2009 or so, which has risen to ₹ 42,000 crore. All the States in the country stand to gain out of this because afforestation is a major problem which is being faced by all States uniformly. If you happen to see what happened in Maharashtra or elsewhere in Madhya Pradesh or the things which

[Shri Anil Desai]

5.00 P.M.

were mentioned in the speeches, every speaker has asked whether the Forest Rights Act, 2006 would be considered in this legislation. I think the doubts raised by Mr. Jairam Ramesh were, if we do not give any right or if we do not go by what Gram Sabha has to say or ignore the rights of the tribals or the rights of the *adivasis*, who have been staying there for ages together in the forests. Their rights need to be protected. When today his apprehensions were explained, I think most of the doubts were put to rest that everything will be monitored by way of this legislation where the National Compensatory Afforestation Fund will be there and the State CAMPA will be there. For both things, the working has been drawn out in the Bill. There is enough of room that when the officials or monitoring agencies will be doing the job as a Government, they will take appropriate care as far as the rights of the tribals are concerned. In the State of Maharashtra, I do remember in 1995, when Shiv Sena and BJP ruled the State then, our hon. President, Uddhavji Thackeray, who is an avid lover of wildlife, took an initiative and started Project Tiger. Similarly, in the same spirit, initiatives and things in the current Government in Maharashtra will be taken ahead. I think Mr. Jairam Ramesh had cited one project which was there and he had expressed his apprehensions. I am sure that hon. Minister would put to rest all the doubts raised by him and it will be in the interest of the people and it will be in the interest of the ecosystem. We have to see that the biodiversity and these things are protected; they are enhanced. Rich forest, rich economy and rich development are taking place at the same time. ...(*Time-bell rings*)... I congratulate the hon. Minister for bringing forward this piece of legislation which will work in the growth of the economy. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A.V. Swamy. You have three minutes.

SHRI A. V. SWAMY (Odisha): Thank you very much, Sir. I belong to Koraput district, which is a Scheduled Area and also otherwise known as paradise of the anthropologists because you will find nearly all the 61 ethnic groups of Odisha in Koraput. Therefore, I will be tempted to get into the problems concerning more the tribals rather than the general things. Please give me one more minute. I am echoing the voice of tribal leaders and activists for tribal rights across the country now. The Bill in the present form is fundamentally opposed to the Forest Rights Act and not addressing the legal rights of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs). It has been recognized and vested under law that the consent of the *Gram Sabha* for implementation of any programme including implementation of contemporary afforestation on their customary land rights is mandatory.

Sir, the Forest Rights Act (FRA) now legally recognizes and vests forest rights of STs and other traditional forest dwellers in about 1,77,000 villages, as of today, and occupy nearly 40 million hectares of forest land. According to a recent study by Rights and Resources Initiatives (RRI), almost a half of India's forest lands are likely to come under the jurisdiction of *Gram Sabha*. Let this not be forgotten, when you frame your laws in future.

Community Forest Resource rights recognized under the Act now constitute a new forest category, not a traditional approach to forests that we have been following all along, to be governed and managed by the *Gram Sabhas* and forest rights holders. Therefore, any Government programme on forestlands, including use of CAMPA funds, has to be based on the framework of governance under FRA.

This Bill does not address the key issue of compensating tribals and forest dwellers for the loss of their forests - a recommendation made by the Kanchan Chopra Committee constituted by the Supreme Court. When the major reason for poor implementation of the FRA remains the obstinate opposition of the forest bureaucracy to empowerment of ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please. ...(*Interruptions*)... All right.

SHRI A. V. SWAMY: No, Sir. One more minute, please. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No more minute. I have not given extra time to anybody. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. V. SWAMY: I am a tribal, Sir. I come from a tribal area. I was born and brought up in.....(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are all equal. ...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir, he has raised a valid issue. The Minister should hear. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: He is a forest man, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are all equal. Here everybody is equal.

SHRI A.V. SWAMY: Give me one minute, Sir. I have just one suggestion. The tribals demand an alternative structure which would directly compensate the forest communities for the loss of the forests and transfer the CAMPA money to *Gram Sabha* for afforestation and ecological restoration. If the CAMPA Bill is now passed by Parliament in its current form, this will be a warning to the present Government it will represent a reversal of the commitment for justice made in the FRA a decade ago to the *adivasis* and forest dwelling citizens. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you very much. Now, Dr. K. Keshava Rao., Dr. *Saheb*, you know the time constraint.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I will not take much time because whatever I wanted to say, he has said. I am also born in a Scheduled Area like him. I am sorry but, I know, I am closer to activists there. Sir, at first, this is not a forest policy discussion, nor on a Forest Act. This is just a Compensatory Afforestation Fund where all the talking is about how the Fund should be distributed. As Mr. Jairam Ramesh said, ₹ 42,000 crores have accumulated. Where do they go? The Supreme Court has said that only ten per cent should be used pending their final decision. Now, all States are looking to it. While agreeing with all of them, all of us do love forests and love trees but we cut them. That is another matter. Mr. Jairam Ramesh, who brought in the Andhra Pradesh Bill, did not know that we, the Scheduled Area people, could be just taken out and alienated, through one ordinance – he is looking at me – from seven *mandals* of Polavaram. He did not bother that there are Scheduled Areas. He did not bother that we need to be consulted. He did not bother that the Government should consult us. Let us not talk about that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jairam Ramesh is not the Minister. ...(*Interruptions*)... Are you a Minister now? ...(*Interruptions*)...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, as far as this is concerned, this Fund..... (*Interruptions*)... At that time, he was presiding the meeting. What I am saying here is this. Let the forests be taken care of. What Mr. Nadimul Haque has said, I agree with him. After all, it is a Concurrent subject. The States are also as much important or as much responsible as the Centre is. We are concerned about our forests; we are concerned about the green cover. So, we will take care of what we need to do. We work closer with the tribals, than the people sitting here, some 1,500 miles away from Hyderabad and its forests. So, we know very well about them. As a matter of fact, I supported him, but he has clouded the entire debate by his very erudite presentation yesterday. I would only like to tell him that we agree but I want the Minister to factor in one thing. Mr. Jairam Ramesh has said, 'let the rules be made comprehensive,' which can be a guideline to the States, if there are any apprehensions on that factor. That is a very right thing that when you are making rules, let them be comprehensive enough because Saleem *Saheb* said that the type of things that we have to add, these can come in our rules. So, this can be taken note of.

Sir, this is one of most welcome Bills. I also congratulate Mr. Javadekar, who was the Minister earlier for this, and we are all with him. We should also congratulate Mr. Jairam Ramesh, who had really initiated this move. This is good.

MR. DEPUTY CHIARMAN: And who denied them their rights?

DR. K. KESHAVA RAO: Yes; it is Mr. Jairam Ramesh's Bill. I don't know why he did not do it. ...(*Interruptions*)... He is talking about rules. Sir, this is Mr. Jairam Ramesh's Bill. He had not brought it, and now, he wants amendment to that, thinking that Keshava Rao cannot do what he would perhaps do. Thank you very much, Sir.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Today is the day of Shri Jairam Ramesh. Everybody is talking about him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Minister to reply. ...(*Interruptions*)... See, Shri Jairam Ramesh is troubling them here and there. ...(*Interruptions*)...

SHRI RAM VICHAR NETAM (Chhattisgarh): Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no point of order. Mr. Minister will reply now. Sit down. Now, hon. Minister will reply. I know that no rule is broken here. ...(*Interruptions*)... I know that. Mr. Minister, please start replying. Why are there such delaying tactics?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे): माननीय उपसभापति जी, एक अच्छा बिल, उस बिल के अंतर्गत जो राशि है और वह बिल आज एक पवित्र उद्देश्य के साथ अपनी पूर्णाहुति पर आ गया है। मुझे कभी-कभी कुछ-कुछ आभास होता है, जैसे एक काम पूर्ण हो गया है, पिछले पांच-छह दिन से जो पाइपलाइन में था। वस्तुतः यह पैसा किसी का नहीं है, यह टीम इंडिया का पैसा है, यह भारत का पैसा है। किसी को क्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरा पैसा है। क्या राज्य, क्या केंद्र, क्या गांव, क्या शहर? यह टीम इंडिया का पैसा है। संसद की प्रक्रिया सफल हुई और हम किसी दबाव, किसी बाह्य स्तंभ के प्रेशर के बगैर आज उस राशि को वापिस उसको पहुंचा रहे हैं, जिसकी कुछ हानि विकास की यात्रा में हुई हो और जो राशि है, वह भी अपने आप में बहुत बड़ी राशि है और विशेषकर ऐसे राज्य, जिन राज्यों के अंदर जंगलों का विशेष नुकसान हुआ है। जब मैं जंगल बोलता हूँ, तो जंगल के अंदर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, जंगल, उसमें रहने वाला आदिवासी, वनवासी, अनुसूचित जनजाति का समाज और उसका वन्य जीवन। जब अनुसूचित जनजाति बोली जाती है, तो उसमें वन और वन्य जीवन जुड़ा हुआ है। चूंकि हम इसे होलिस्टिक और कांप्रेहेंसिव वे में नहीं देखते हैं, इसलिए कंपार्टमेंट में देखने की आदत पड़ गई है। जब लोग कहते हैं कि वन लगाओ, तो मैं कभी-कभी मजाक में कहता हूँ कि आप वन काटो मत, वन अपने आप लग जाएगा, छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि चलो, नदी साफ करते हैं, मैं कहता हूँ कि माफ करो, नदी को गंदा करना बंद कर दो, नदी तो साल में एक बार अपने आपको खुद यूं ही साफ कर लेती है। वह खुद ही अपने आपको साफ करती है। लेकिन कंसेप्ट के लेवल पर जब कंफ्यूजन होता है, तो सेनापति का कंफ्यूजन मैदान के अन्दर मोर्चे हरवाता है। वैसे ही योजनाकारों के मन में और नीति निर्धारकों के अन्दर जब स्पष्टता का अभाव होता है या वे किसी चीज़ से influenced होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। यहां मैं उन राज्यों का विशेष करके उल्लेख करना चाहता हूँ, जिनके पास 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुँचेगी। ...**(व्यवधान)**... यह 1,000 करोड़ है। यानी अब सारी बातें करोड़ में ही होंगी। आंध्र प्रदेश के पास 2,223 करोड़ रुपये जाएँगे और अरुणाचल प्रदेश के पास 1,462 करोड़ रुपये जाएँगे। नॉर्थ ईस्ट के ...**(व्यवधान)**... मैं पढ़ रहा हूँ।

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश): आप पहले समझिए, बाद में सुनाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल माधव दवे: छत्तीसगढ़ के अन्दर 3,861 करोड़ रुपये जाएँगे, गुजरात के अन्दर 1,100 करोड़ रुपये जाएँगे और हिमाचल प्रदेश के पास 1,395 करोड़ रुपये जाएँगे। जम्मू-कश्मीर के पास 926 करोड़ रुपये जाएँगे, जिसे आप round figure करेंगे तो वह 1,000 करोड़ होता है। झारखंड के पास 3,099 करोड़ रुपये जाएँगे, कर्णाटक को 917 करोड़ रुपये जाएँगे, मध्य प्रदेश के लिए 3,459 करोड़ रुपये हैं और महाराष्ट्र के लिए 2,435 करोड़ रुपये हैं। सबसे अधिक ओडिशा के पास 5,996 करोड़ रुपये जाएँगे, जिसे आप round figure करेंगे तो यह 6,000 करोड़ के आसपास होता है। राजस्थान को 1,425 करोड़ रुपये जाएँगे, उत्तर प्रदेश के पास 1,314 करोड़ रुपये जाएँगे और उत्तराखंड के पास 2,210 करोड़ रुपये जाएँगे। यह वह राशि है, जो इन राज्यों के अन्दर विकास के काम होने के कारण ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूँ। मैं सारा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबका 1,000 करोड़ से कम है, लेकिन इनका 1,000 करोड़ से ज्यादा है। बाकी मैं इसे स्पेसिफिकली सबको डिस्ट्रिब्यूट कर दूँगा। आप सबको मिल जाएगा, मैं यह दे दूँगा। ...(**व्यवधान**)... मैं आपको पूरी राशि दे दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: राशि? ...(**व्यवधान**)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): राशि नहीं, डिटेल। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल माधव दवे: डिटेल मैं आपको दे दूँगा।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से अपने उन सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बहस के अन्दर हिस्सा लिया। जयराम रमेश जी ने इस बहस की शुरुआत की, तो मैंने भी उनसे लॉबी में मजाक में कहा कि अब इसके बाद किसी को बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि आपने तो सब बोल दिया है। तो जयराम रमेश जी ने उसकी बहुत अच्छी शुरुआत की। मुझे विवेक के आधार पर सोचना पड़ेगा कि क्या सम्भव है और क्या नहीं है। इसके बाद, भुपेंद्र यादव जी ने उसका एक सुन्दर सा जवाब दिया। चूँकि वे एक वकील भी हैं और बाकी सारी चीज़ों से तैयारी के साथ आते हैं, तो उस तैयारी को उन्होंने रखा भी है। मुनव्वर सलीम जी, टी. रतिनावेल जी, मो. नदीमुल हक़ जी, हरिवंश जी, सी. पी. नारायणन जी, दिलीप तिर्की जी, वीर सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला है। प्रफुल्ल पटेल जी का इंटरवेंशन बहुत अच्छा था, अपने भाषण के अन्दर उन्होंने महाराष्ट्र के वनवासी क्षेत्र का अपना अनुभव बताया। डी. राजा जी ने भी बोला। दिग्विजय सिंह जी keeps his powder dry, तो वे उन विषयों के अन्दर हमेशा तैयार ही रहते हैं। उनका 10 साल का मध्य प्रदेश का अनुभव है। लाल सिंह वडोदिया जी, टी. के. एस. एलंगोवन जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर जी, अनिल देसाई जी, ए. वी. स्वामी जी और डा. के. केशव राव जी, सभी ने इस चर्चा के अन्दर बहुत अच्छा भाग लिया। ...(**व्यवधान**)... सबने अच्छा बोला। यह एक अच्छी बहस, अच्छी चर्चा का समापन है, लेकिन मैं यहां दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पंचायती राज अधिनियम के बाद किसी भी पंचायती क्षेत्र के अन्दर कुछ भी करना सम्भव नहीं है, उस अधिनियम के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। जितने भी नए नियम आएं, जो लोग भी आएं... पंचायती राज अधिनियम ने इस देश के सबसे नीचे जो मैनेजमेंट है, सबसे नीचे जो गवर्नेंस है, उसका इतना सशक्तीकरण कर दिया है कि जब मैं वहां

जाता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनको तो संसद से भी ज्यादा अधिकार प्राप्त हो रहा है। इतना पैसा है, इतनी ताकत है। अब उसके साथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, अवेयरनेस, ये सब कुछ चाहिए। मैं वैसा ही Forest Right Acts के संबंध में कह सकता हूँ, वैसे यह दूसरे मंत्रालय का विषय है, लेकिन Forest Right Acts को ध्यान में रख कर ही ये सारी चीजें की गई हैं और जहां तक राज्य सरकारों का सवाल है, उपसभापति जी, हम एक federal structure में रहते हैं, हमें राज्य सरकारों पर भरोसा करना होगा। वे चुनी हुई सरकारें हैं। उनके जो मुखिया होते हैं, जो कुछ अच्छा हो सकता है, वे अपने विवेक से करते होंगे। नीतियों में अंतर होता होगा, लेकिन राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर और उनके काम करने की क्षमता पर... कुछ कमी हो सकती है, कुछ होगा, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम ध्यान दिला सकते हैं, लेकिन उनके काम करने पर अगर हर बार हम spoon feeding करेंगे, हम बताएंगे कि ऐसा ही कीजिए, हम जो कहेंगे, वही कीजिए, तो यह मुझे लगता है कि federal structure के मूल ढांचे की जो चेतना है, यह उसके विपरीत है, इसलिए हम मान कर चल रहे हैं कि जब यह राशि राज्यों को जाएगी और राज्य उसका नीचे उपयोग करेगा, तो उपयोग करते हुए वह सारे विवेक को ध्यान में रख कर करेगा, जो उन्होंने संविधान के अंतर्गत शपथ ली है और सारा काम किया है। वे भी अपने राज्य के अंदर वनों को बढ़ाना चाहते हैं, वे भी अपने राज्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन को मिटिगेट करना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि राज्य अपनी जगह इस काम को अच्छे से करेंगे ही। कहीं कुछ ध्यान में आएगा, तो हम नियम बनाते वक्त उस पर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं एक अंतिम बात कह रहा हूँ। पिता को जितनी जल्दी बेटी के विवाह या बेटे की पढ़ाई, नौकरी या विवाह की होती है, उससे ज्यादा जल्दी मुझे इस बिल के पास होने की है, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी से यह पास हो जाए ताकि जो पैसा परसों दिया जा रहा हो, वह कल दिया जाए, जो कल दिया जा रहा हो, वह अभी दे दिया जाए, लेकिन शासन की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। यह पैसा जाएगा, इससे प्रति दिन 10 या 11 लाख रुपए का ब्याज आता है, लेकिन सरकार ब्याज कमाने के लिए नहीं चलती है, बल्कि सरकार विकास के कामों के लिए चलती है और हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं यहां एक ड्राफ्ट को पढ़ाना चाहता हूँ। यह मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यह mutually agreed है और इसके अंदर कम से कम कोई शब्द नहीं छूटेगा। वह रिकॉर्ड पर आ जाएगा और उसके authentication की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ।

I have received some suggestions made by the Congress Party and others, one with regard to the involvement of the Gram Sabha in monies spent in areas which are covered by the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers recognized under the Forest Rights Act, 2006. Another suggestion has been made with regard to the consultation with elected representatives in the expenditure to be undertaken in this regard. Our Government has always followed a principled process, and public participation in the development process has been encouraged in all our policies and programmes. I would like to state that Clause 6 of the Bill, as approved by the Lok Sabha, deals with the expenditure to be undertaken from the State Fund. The said expenditure involves expenditure on land given for compensatory afforestation, forest and wildlife management, protected areas and other allied activities. However,

[श्री अनिल माधव दवे]

if the expenditure is to be undertaken on the land covered by the Gram Sabha in areas which are covered under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006, the rules would provide for necessary consultation with the Gram Sabha. The procedure for effective consultation in formulation of the projects and the expenditure to be undertaken will also be specified in the rules. A record of such consultation shall be maintained. The language of this rule-making proviso under Section 30 is wide enough and Clause 30(2)(c), (d), (j), (k), (o) and (t) are wide enough to provide for this.

I assure the House that the rules would necessarily incorporate provision for this consultation process. I would also assure the House that in case the rules are not found adequate in addressing the issues, we will revisit them after a lapse of an year or so.

हम सभी सुझावों पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। हम उसके लिए नियमों के निर्धारण के पहले आवश्यक बैठक भी करेंगे। Our process is absolutely democratic. आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मैं उस सारी प्रक्रिया को करने के अंदर प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं का कहीं उल्लंघन नहीं करूंगा। अगर उपस्थित हों और हों तो वह प्रक्रिया अपनी जगह पालन होगी। आप सबसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, hon. Minister. Now, the question is:

> "That the Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level and at each of the State and Union Territory Administration for administration of the funds and to utilize the monies so collected for undertaking artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in clause 6, there are two amendments (Nos.9 and 10) by Shri Husain Dalwai. Mr. Dalwai, are you moving the amendment?

SHRI HUSAIN DALWAI: No, Sir. The Minister has given an assurance in the House that he will frame the rules in which all such concerns will be addressed. Hence, I am not moving the amendments.

Clause 6 was added to the Bill.

NEW CLAUSE 6A- INSERTION OF NEW CLAUSE 6A CONDITIONS FOR EXPENDITURE FROM NATIONAL OR STATE FUND

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there are two amendments for insertion of New Clause 6A; amendment (No. 6) by Shri Ritabrata Banerjee and amendment (No.7) by Shri Jairam Ramesh. Mr. Banerjee, are you moving the amendment?

SHRI RITABRATA BANERJEE: Yes, Sir. Sir, I move:

6. That at page 6, *after* line 36, the following be *inserted*, namely.-

"6A. Prior to authorising any expenditure from the National or State Fund, the respective Authority shall ensure that:

(i) the informed consent of the Gram Sabhas of all villages within whose customary, traditional or revenue boundaries the proposed activity falls has been obtained, or whose members exercise any forest right within the area proposed for the project, or which is within five kilometers of the proposed site;

(ii) all applicable rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2006, have been recorded and recognized, as certified in a resolution by each Gram Sabha that fits the criteria mentioned in sub-section (i) and;.

(iii) any proposed project or scheme in an area where any right has been recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, should be undertaken only under a plan prepared and passed by the Gram Sabha whose member(s) hold these rights.

Explanation.- Provided that, for the purposes of this section, the terms "Gram Sabha" and "village" shall have the same definitions as those specified in sections 2(g) and 2(p) respectively of the Scheduled Tribes and Other 'Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act, 2006 and the applicable quorum for all meetings of the Gram Sabha for these purposes shall be fifty per cent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in New Clause 6A, there is one amendment (No.7) by Shri Jairam Ramesh. Mr. Jairam Ramesh, are you moving the amendment?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, all that this amendment seeks to do is to ensure that the CAMPA funds will be used after the rights have been settled, and where the rights have been settled after the permission of the Gram Sabha. Normally, I would have moved this amendment. But in view of the written assurance given by the Minister that the spirit of the amendment will be reflected in the rules and that if the rules are insufficient, he will come back to the House in one year's time, I am not moving the amendment. I would request the hon. Minister to take the written assurance that he has given very seriously.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Once he has given an assurance on the floor of the House, he will fulfil it. Why do you doubt his intention? Now, Shri Jairam Ramesh has not moved the amendment. I shall now put the amendment moved by Shri Ritabrata Banerjee to vote.

The motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in Clause 8, there are two amendments (Nos.1 and 2) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving the amendments?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): No, Sir.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in Clause 9, there are two amendments (Nos.3 and 4) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving the amendments?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I am satisfied with the reply of the Minister. I am not moving the amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That means the Minister has given a very good reply.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 to 14 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in clause 15, there is one amendment (No. 5) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving the amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Since the Minister has assured the House that he believes in transparency and will address our concerns, I am not moving the amendment.

Clause 15 was added to the Bill.

Clauses 16 to 18 were added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 19, there is one Amendment (No. 11) by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I am not moving.

Clause 19 was added to the Bill

Clauses 20 to 29 were added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 30, there is one Amendment (No. 12) by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I am not moving .

Clause 30 was added to the Bill.

Clauses 31 to 33 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula & the Preamble were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Long Title, there is one Amendment (No. 8) by Shri Husain Dalwai. Are you moving?

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I am not moving.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI ANIL MADHAV DAVE: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, I have to inform that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 28th of July, 2016, has allotted time for Government Legislative Business, as follows: